2nd

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2024-25

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड
TREDCO RAJASTHAN LTD.

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का संयुक्त उद्यम

(A Joint Venture of THDC India Ltd. & Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited)

CIN : U35106RJ2023GOI086546

विषय–सूची

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन

• निदेशक मंडल	3
• विजन और मिशन वक्तव्य	5
• कॉर्पोरेट विवरण	6
• परियोजना पोर्टफोलियो	7
• अध्यक्ष का सम्बोधन	12
• दूसरी वार्षिक आम बैठक की सूचना	15
• वित्तीय निष्पादन की मुख्य विशेषताएं	18
• निदेशकों का संक्षिप्त विवरण	20

निदेशकों की रिपोर्ट और इसके अनुलग्नक

• निदेशक की रिपोर्ट 2024–25	24–33
• एओसी–2	34

वित्तीय विवरण–वित्त वर्ष 2024–25

• वित्तीय विवरण 2024–25	37–71
• स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	72–83
• भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	84

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड की दूसरी वार्षिक आम बैठक

दिनांकः 24 सितंबर, 2025

समय : पूर्वाह्न 12:00 बजे

मोड : वीडियो कान्फ्रेंसिंग

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन

- निदेशक मंडल
- विजन और मिशन वक्तव्य
- कॉर्पोरेट जानकारी
- परियोजना पोर्टफोलियो
- अध्यक्ष का सम्बोधन
- दूसरी वार्षिक आम बैठक की सूचना
- वित्तीय निष्पादन की मुख्य विशेषताएं
- निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

निदेशक मंडल

श्री राजीव कुमार विश्नोई
अध्यक्ष

श्री सिपन कुमार गर्ग
नामिती निदेशक, टीएचडीसीआईएल
(दिनांक : 09.09.2025 से प्रभावी)

श्री नीरज वर्मा
नामिती निदेशक, टीएचडीसीआईएल

श्री योगेन्द्र माथुर
नामिती निदेशक, आरआरईसीएल

श्री दुर्गेश राजोरिया
नामिती निदेशक, आरआरईसीएल

वर्ष के दौरान नेतृत्व परिवर्तन

श्री कुमार शरद
नामिती निदेशक, टीएचडीसीआईएल
(08.09.2025 तक)

श्री दिनेश कुमार शर्मा
नामिती निदेशक, आरआरईसीएल
(19.04.2024 तक)

श्री देवकीनंदन शर्मा
नामिती निदेशक, आरआरईसीएल
(27.01.2025 तक)

श्री कैलाश चंद सोनी
नामिती निदेशक, आरआरईसीएल
(11.11.2024 तक)

श्री सुनीत माथुर
नामिती निदेशक, आरआरईसीएल
(31.08.2024 तक)

"विजन और मिशन"

विजन वक्तव्य / Vision Statement

- सतत भविष्य के निर्माण के लिए जीवन में परिवर्तन लाने वाली एक अनुकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा इकाई बनना।

- To be an exemplary Renewable Energy Entity transforming lives for sustainable future.

मिशन वक्तव्य / Mission Statement

- भावी पीढ़ियों के लिए स्थाई, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम अवसंरचना प्रदान करना।
- अरबों लोगों के लिए किफायती स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में योगदान देना।
- भारत में विद्युत उत्पादन प्रणाली का स्वच्छ ऊर्जा मॉडल के रूप में कायाकल्प करने के लिए अनुकरणीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना।
- भावी पीढ़ियों के लिए लागत प्रभावी तरीके से नवीकरणीय और सतत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना।
- भारत में विद्युत उत्पादन प्रणाली को नवीकरणीय और सतत ऊर्जा मॉडल में परिवर्तित करना।

- To provide best infrastructure for producing sustainable, affordable and clean energy for generations.
- To contribute in producing affordable clean energy for billions.
- To provide exemplary ecosystem for transforming power generation system in India towards a clean energy model.
- To provide an ecosystem for generating renewable and sustainable energy in a cost-effective manner for generations.
- To transform the power generation system in India towards renewable and sustainable energy model.

उद्देश्य / Objectives

- **नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित करना :** ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को राजस्थान राज्य में 10,000 मेगावाट की संचयी क्षमता के साथ अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत पार्क विकसित करने का अधिदेश प्राप्त है।
- **स्थिरता :** भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप, कंपनी का लक्ष्य स्वच्छ और हरित ऊर्जा का उत्पादन सुगम बनाकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के राष्ट्र के प्रयासों में योगदान करना है।
- **आर्थिक विकास :** बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और संचालन के जरिए क्षेत्र में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।

- **Develop Renewable Energy Parks:** TREDCO Rajasthan Limited is mandated to develop Ultra Mega Renewable Energy Power Parks with a cumulative capacity of 10,000 MW in the state of Rajasthan.
- **Sustainability:** Aligning with India's renewable energy targets, the Company aims to contribute to the nation's efforts to combat climate change by facilitating the generation of clean and green energy.
- **Economic Growth:** Foster economic growth and job creation in the region through the development and operation of large-scale renewable energy projects.

कॉर्पोरेट जानकारी

पंजीकृत कार्यालय :

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड
प्लॉट नंबर डी–1, तीसरी और चौथी मंजिल,
लाल कोठी योजना, पंकज सिंघवी मार्ग,
जयपुर, राजस्थान, 302005
01414557078 (दूरभाष)
ई–मेल आईडी : cstredco@thdc.co.in

सांविधिक लेखा परीक्षक :

आर. के. मालपाणी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट
103–ए, श्याम अनुकंपा, ओ–11, अशोक मार्ग,
सी–स्कीम, जयपुर–302001
94140–70501(मो.), 98290–64513(मो.)
ई–मेल आईडी: rkmalpanica@hotmail.com, rkmalpanica@gmail.com

मुख्य कार्यकारी अधिकारी :

श्री हरियंत कुमार त्यागी
संपर्क नं. : 9411103666
ईमेल : haryantktyagi@thdc.co.in

बैंकर्स :

पंजाब नेशनल बैंक
एवरेस्ट कॉलोनी, जयपुर (राजस्थान)

परियोजना विवरण

अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्कों (यूएमआरईपीपी) का विकास

प्रस्तावना :

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड का गठन 25 मार्च, 2023 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किया गया। कंपनी ने 14 जून, 2023 को राजस्थान में अपना व्यावसायिक परिचालन शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य 10,000 मेगावाट क्षमता वाले अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित करना है। इन सौर पार्कों के लिए अनुमानित भूमि आवश्यकता लगभग 50,000 एकड़ (लगभग 20,000 हेक्टेयर) है।

प्रगति का सिंहावलोकन :

भूमि की आवश्यकता पूरी करने के लिए, पश्चिमी राजस्थान में 32,000 एकड़ सरकारी भूमि की पहचान की गई और भूमि आवंटन के लिए राजस्थान सरकार को अनुशंसा करने के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) को प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। आरआरईसीएल की अनुशंसा के बाद, 2,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पावर पार्क विकसित करने के लिए 4,000 हेक्टेयर (लगभग 10,000 एकड़) भूमि बोडाना गाँव, तहसील नाचना–I, जिला जैसलमेर में निर्धारित की गई।

परियोजना नियोजन और विकास–पूर्व गतिविधियों के उन्नत चरण में पहुँच गई, इनमें 2000 मेगावाट बोडाना सोलर पार्क को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी, एमएनआरई को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना, वित्तीय सहायता की मंजूरी, सरकारी भूमि की निगरानी के लिए भूमि सलाहकार को अंतिम रूप दिया जाना, भूमि, परियोजना के बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए मसौदा निविदा दस्तावेजों की तैयारी, विद्युत निकासी के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए आवेदन करने हेतु एमएनआरई द्वारा प्राधिकार आदि शामिल हैं। विस्तृत प्रगति रिपोर्ट चरण की तैयारी के दौरान साइट जांच कार्य की कुछ झलकियां नीचे दी गई हैं :

राज्य उपनिवेशन विभाग की गहन जांच के बाद, अगस्त 2024 में राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के पक्ष में प्रस्ताव तैयार किया गया था।

जबकि 4000 हेक्टेयर भूमि के लिए सिफारिश को रद्द कर दिया गया था, ट्रेडको बोडाना सौर पार्क परियोजना के विकास के लिए वैकल्पिक अवसरों की खोज करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने

नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करना जारी रखे हुए है।

इसके बाद, ट्रेडको ने सक्रिय रूप से दो अलग–अलग सरकारी भूखंडों की पहचान की है। 870 मेगावाट के सौर पार्क/यूएमआरईपीपीज के विकास के लिए 1735.05 हेक्टेयर और 1510 मेगावाट के सौर पार्क/यूएमआरईपीपीज के विकास के लिए 3020 हेक्टेयर। इन सरकारी भूमि प्रस्तावों को आरआरईसीएल (राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक नोडल एजेंसी) को ट्रेडको को इन भूमियों के आवंटन हेतु उनकी अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

बोडाना सौर पार्क (2000 मेगावाट) के लिए संचालित की गई प्रमुख विकास गतिविधियाँ :

1. आरआरईसीएल द्वारा भूमि आवंटन की सिफारिश और वापसी :

- ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड ने पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर जिले में 25000 एकड़ से अधिक बड़े सरकारी भूखंडों की पहचान की है और यूएमआरईपीपी के विकास के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को आवंटन हेतु आरआरईसीएल को कई प्रस्ताव भेजे हैं।
- सरकारी भूमि के चिन्हित भूखंडों में से, आरआरईसीएल (राजस्थान सरकार की राज्य नोडल एजेंसी) ने अपने पत्र दिनांक 17.05.2023 के माध्यम से, बीकानेर के उपनिवेशन आयुक्त को 2000 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क के विकास हेतु ग्राम–बोडाना, तहसील–नचना–I, जिला–जैसलमेर में 4000 हेक्टेयर सरकारी भूमि ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को आवंटित करने की सिफारिश की थी।
- राज्य उपनिवेशन विभाग द्वारा गहन परीक्षण के बाद, अगस्त 2024 में राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के पक्ष में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
- राज्य नोडल एजेंसी अर्थात आरआरईसीएल द्वारा सितंबर 2024 में अचानक उपरोक्त भूमि आवंटन अनुशंसा को वापस ले लिया गया, जबकि ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के साथ कोई पूर्व संवाद नहीं किया गया था।
- इसके अलावा, राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने 29.09.

2024 को बोडाना गांव की उपरोक्त 4000 हेक्टेयर सरकारी भूमि को ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के स्थान पर राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (आरएसडीसीएल–आरआरईसीएल की 100% सहायक कंपनी) को आवंटित करने को मंजूरी दे दी है।

2. एमएनआरई सैद्धांतिक अनुमोदन

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने 01.02.2024 को अपने सोलर पार्क मोड–8 योजना के अंतर्गत ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के पक्ष में 1292 मेगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।
- एमएनआरई ने 25.09.2024 को बोडाना सोलर पार्क की क्षमता, इस कड़ी शर्त के साथ कि एमएनआरई की कमीशनिंग की समय सीमा, अर्थात मार्च 2026 तक, में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, 1292 मेगावाट से बढ़ाकर 2000 मेगावाट कर दी।
- 4000 हेक्टेयर सरकारी भूमि वापस लेने के परिणामस्वरूप, 2000 मेगावाट क्षमता वाले बोडाना सोलर पार्क के लिए एमएनआरई द्वारा ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के पक्ष में दी गई सैद्धांतिक स्वीकृति बिना कोई कारण बताए 09.12.2024 को निरस्त कर दी गई और राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (आरएसडीसीएल) के पक्ष में संशोधित सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गई।

3. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट :

- 1292 मेगावाट क्षमता के बोडाना सौर पार्क के विकास के लिए डीपीआर पहले ही 78.70 लाख रुपये के अनुबंध मूल्य पर मेसर्स वापकोस लिमिटेड के माध्यम से तैयार की जा चुकी है और विभिन्न स्पष्टीकरणों के बाद 12.08.2024 को एमएनआरई / एसईसीआई को उनकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत कर दी गई थी।

4. परियोजना वित्तपोषण:

- 2000 मेगावाट बोडाना सोलर पार्क के विकास के लिए 355.86 करोड़ रुपये की ऋण सहायता के लिए मेसर्स आरईसी लिमिटेड ने 11.01.2024 को स्वीकृत प्रदान की।
- राजस्थान में संयुक्त उद्यम ट्रेडको के माध्यम से 10,000 मेगावाट यूएमआरईपीपी के विकास के लिए 6000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु टीएचडीसीआईएल ने आरईसी के साथ 16.09.2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- 2000 मेगावाट बोडाना सोलर पार्क का सैद्धांतिक अनुमोदन रद्द करने के कारण, आरईसी ने पहले स्वीकृत किए गए ऋण को रद्द करने की सूचना 05.02.2025 को दी।

5. 4000 हेक्टेयर सरकारी भूमि के समुचित जांच कार्यों के लिए भूमि सलाहकार की नियुक्ति :

- 2000 मेगावाट यूएमआरईपीपी के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि सलाहकार के पैनल के लिए ईओआई 13.07.2023 को जारी किया गयाय 4 बोलीदाताओं को पैनल में शामिल किया गया।
- आरएफपी 22.06.2024 को जारी किया गया। सक्षम प्राधिकारी ने 28.07.2024 को मेसर्स द गिल्ड एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स काउंसल, नई दिल्ली को 44.18 लाख रुपये (जीएसटी सहित) के अनुबंध मूल्य पर एलओए जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया और एलओए उपरोक्त सरकारी भूमि के ट्रेडको को आवंटन के बाद जारी किया जाएगा।
- सरकारी भूमि का आवंटन न होने के कारण 18.01.2025 को आरएफपी रद्द कर दिया गया।

आगे के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण रणनीति :

राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2023 के अनुरूप, ट्रेडको ने 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए 20,000 हेक्टेयर (लगभग 50,000 एकड़) भूमि अधिग्रहण करने की योजना बनाई है।

भूमि की आवश्यकता का पता लगाने के लिए, ट्रेडको की भूमि अधिग्रहण रणनीति में शामिल हैं:

- **60% सरकारी भूमि:** लगभग 30,000 एकड़ सरकारी भूमि।
- **40% निजी भूमि:** लगभग 20,000 एकड़ निजी भूमि, भूमि एग्रीगेटर की नियुक्ति के जरिए 30 वर्षीय पट्टे और सीधी पूर्ण खरीद के आधार पर।

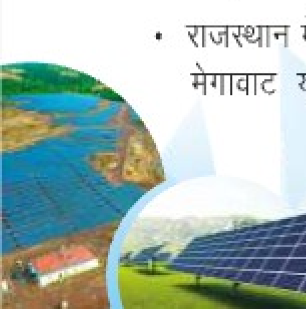

1000 मेगावाट सौर पार्क के विकास के लिए 5000 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु भूमि एग्रीगेटर की नियुक्ति :

- उपरोक्त भूमि अधिग्रहण रणनीति के अनुरूप, 18 फर्मों में से 08 फर्मों को दो (02) वर्षों की अवधि के लिए ईओआई चरण के दौरान सूचीबद्ध किया गया था।
- राजस्थान में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) के विकास के लिए 5000 एकड़ निजी भूमि (29 वर्ष 11 महीने की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर/एकमुश्त खरीद के आधार पर)/के अधिग्रहण के लिए भूमि एग्रीगेटर/सुविधा प्रदानकर्ता की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के वास्ते 31.12.2024 को आयोजित ट्रेडको की 9वीं बोर्ड बैठक में एक एजेंडा रखा गया था।
- बोर्ड ने संकल्प पारित किया कि "आरआरईसीएल के प्रबंधन की औपचारिक स्वीकृति के अधीन, राजस्थान में अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) के विकास के लिए 5000 एकड़ भूमि (29 वर्ष 11 महीने की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर /एकमुश्त खरीद के आधार पर) के अधिग्रहण के लिए भूमि एग्रीगेटर/सुविधा प्रदानकर्ता की नियुक्ति के लिए आठ (08) सूचीबद्ध बोलीदाताओं से प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित करने के लिए बोर्ड की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।"
- इसके बाद, आरआरईसीएल ने अपने पत्र दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से सूचित किया कि महत्वपूर्ण वित्तीय विचारों को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन ने 5000 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण के बजाय, ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए सरकारी भूमि के अधिग्रहण को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

चालू परियोजनाएं :

ट्रेडको ने सक्रिय रूप से निम्नलिखित दो अलग–अलग सरकारी भूमि की पहचान की है और राजस्थान में 870 मेगावाट और 1510 मेगावाट क्षमता के दो सौर पार्कों/यूएमआरईपीपीज के विकास के लिए ट्रेडको को इन भूमियों के आवंटन हेतु उनकी सिफारिश के लिए आरआरईसीएल को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :–

- **सरकारी भूमि प्रस्ताव 1 :** ट्रेडको ने राजस्थान के जैसलमेर जिले के नाचना–I तहसील के गांव बोड़ाना में 1735.05 हेक्टेयर सरकारी भूमि के एक टुकड़े की पहचान की थी और लगभग 870 मेगावाट के सोलर पाक/यूएमआरईपीपी के विकास के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को सरकारी भूमि के इस टुकड़े के आवंटन के लिए 31.01.2025 को आरआरईसीएल को प्रस्ताव भेजा था।
- **सरकारी भूमि प्रस्ताव 2 :** ट्रेडको ने राजस्थान के बीकानेर जिले के बज्जू तहसील के गांव रणजीतपुरा बारानी में लगभग 3020 हेक्टेयर सरकारी भूमि के एक और टुकड़े की पहचान की थी
- लगभग 1510 मेगावाट के सोलर पार्क/ यूएमआर ईपीपी के विकास के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को सरकारी भूमि के इस टुकड़े के आवंटन के लिए 13.03.2025 को आरआरईसीएल को प्रस्ताव भेजा था।

भविष्य की परियोजनाओं की योजना :

ट्रेडको को 10,000 मेगावाट क्षमता वाले अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित करने का प्राथमिक दायित्व प्राप्त है। इसके लिए, ट्रेडको ने राजस्थान में 2380 मेगावाट की कुल क्षमता वाले दो यूएमआरईपीपी/सोलर पार्कों के विकास हेतु उपरोक्त दो सरकारी भूमि प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा, ट्रेडको की योजना शेष 7620 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्कों को वित्त वर्ष 2026–28 के दौरान 1620 मेगावाट और 2000 मेगावाट क्षमता के दो चरणों में और वित्त वर्ष 2027–29 के दौरान 2000 मेगावाट क्षमता के दो अन्य सोलर पार्क विकसित करने की है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

10,000 मेगावाट सौर पार्क को मुख्यधारा में लाना

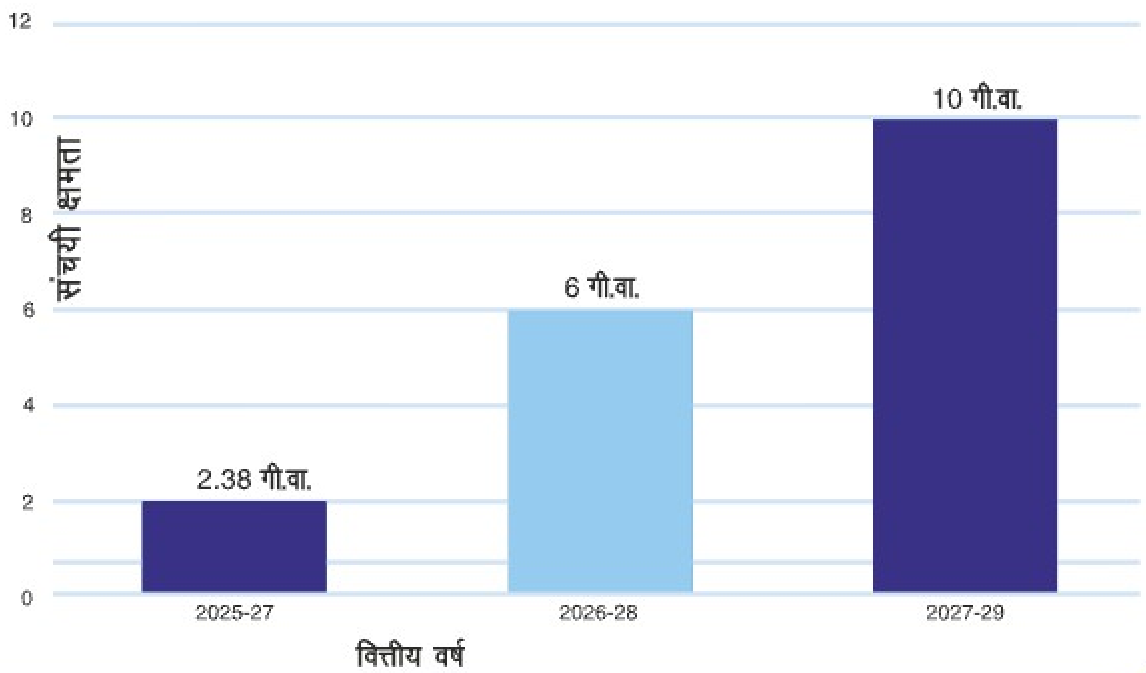

अध्यक्ष का सम्बोधन

प्रिय शेयरधारकों,

यह बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है कि मैं आपके समक्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के लिए अध्यक्षीय सम्बोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाजोखे के साथ–साथ लेखा परीक्षक और निदेशकों की रिपोर्ट साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें हमारी कंपनी की एक वर्ष की महत्वपूर्ण प्रगति और उल्लेखनीय उपलब्धियों को दर्शाया गया है। जैसे–जैसे हम नवीकरणीय ऊर्जा, खास तौर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इस रोमांचकारी यात्रा पर अग्रसर हो रहे हैं, मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत आशावादी हूँ। यह उद्यम सतत विकास के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता और नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनकारी शक्ति में हमारे भरोसे को रेखांकित करता है।

विकास दृष्टिकोण :

स्वच्छ ऊर्जा की ओर वैश्विक बदलाव अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत ने 2020 के मध्य तक प्रतिवर्ष लगभग 50 गी.वा. नवीकरणीय क्षमता के लिए निविदाएँ जारी करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 500 गी.वा. गैर–जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता प्राप्त करना है। 31 मार्च, 2025 तक, भारत 220.10 गी.वा. नवीकरणीय क्षमता तक पहुँच गया था, जिसमें सौर (105.65 गी.वा.), पवन (50.04 गी.वा.), जैव ऊर्जा (11.58 गी.वा.), और लघु जलविद्युत (~5.10 गी.वा.) शामिल हैं, इनमें से 169.4 गी.वा. कार्यान्वयन के अधीन हैं। हालाँकि यह पहल सौर, जलविद्युत, पवन और जैव ऊर्जा परियोजनाओं तक विस्तारित है, परंतु वास्तविक दुनिया की चुनौतियाँ जैसे कि पारेषण में देरी, बीच में अटकी हुई परियोजनाएँ और कोयले पर निरंतर निर्भरता, क्षमता को स्वच्छ उत्पादन में बदलने की जटिलताओं को रेखांकित करती हैं।

इस राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप, ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड की स्थापना टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई, जिसकी प्रारंभिक चुकता शेयर पूंजी ₹5 करोड़ थी और शेयरधारिता अनुपात 74:26 था। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान इसे बढ़ाकर ₹15 करोड़ रूपये कर दिया गया। कंपनी को राजस्थान में 10,000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) विकसित करने का स्पष्ट अधिदेश प्राप्त है, जिससे भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सके।

वित्त वर्ष 2024–25 में कार्य–निष्पादन की मुख्य बातें और चालू परियोजनाएं

हमारे नवीकरणीय ऊर्जा विजन के लिए भूमि की जरूरतों को पूरा करने के लिए, पश्चिमी राजस्थान में 32,000 एकड़ सरकारी भूमि की प्रारंभिक पहचान की गई थी। आरआरईसीएल की अनुशंसा के आधार पर, बोडाना गाँव में 4,000 हेक्टेयर भूमि 2,000 मेगावाट के सौर पार्क के लिए निर्धारित की गई थी, और परियोजना कई प्रमुख स्वीकृतियों और नियोजन चरणों से गुजरी। हालाँकि, भूमि की पहले की अनुशंसा निरस्त किये जाने से परियोजना की प्रगति में अप्रत्याशित रुकावट आ गई।

बिना किसी हिचकिचाहट के, ट्रेडको ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नए भूखंडों, 870 मेगावाट के लिए 1735.05 हेक्टेयर और 1510 मेगावाट के लिए 3020 हेक्टेयर, की पहचान की। दोनों के प्रस्ताव आरआरईसीएल को अनुशंसा के लिए प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हमारी अटूट प्रतिबद्धता और अनुकूलन की तत्परता को दर्शाता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहलें:

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड में, हमारा दृढ़ विश्वास है कि मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे हितधारकों का विश्वास अर्जित करने और उसे बनाए रखने के लिए जरूरी है। हमारा प्रशासनिक ढाँचा पारदर्शिता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर आधारित है। कॉर्पोरेट आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए हम सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करते हैं।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ट्रेडको ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों का निरंतर पालन किया है। हम हितधारकों के हितों की रक्षा और पारदर्शी एवं प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष के दौरान निवेशकों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई – जो हमारी सक्रिय प्रशासनिक कार्यप्रणाली का प्रमाण है।

आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्धता:

भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल एक रणनीतिक आधार है, जिसका लक्ष्य 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करना है। वर्तमान में, भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 90% और प्राकृतिक गैस का लगभग 50% आयात करता है। जिससे देश को वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान और मूल्य अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।

इन जोखिमों को कम करने के लिए, सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में तेजी ला रही हैकृविशेषकर बिजली, परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों में, जो कुल ऊर्जा मांग का 80% से अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं।

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड इन राष्ट्रीय महत्व– कांक्षाओं के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। सरकार का **लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर–जीवश्म विद्युत क्षमता** (जिसमें कम से कम 250 गीगावाट सौर ऊर्जा शामिल है) हासिल करना और **2040 तक 80 प्रतिशत स्वच्छ ग्रिड** और उसके बाद 90 प्रतिशत स्वच्छ ग्रिड का लक्ष्य रखना है। ट्रेडको राजस्थान की विशाल सौर क्षमता का दोहन करने और इस स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में सार्थक योगदान देने के लिए रणनीतिक रूप तैयार है।

दायरे का विस्तार:

आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में विद्युत के बुनियादी ढांचे के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। चूंकि भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए ट्रेडको अपनी क्षमता का विस्तार करने और अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम न केवल राजस्थान में बल्कि अन्य राज्यों में भी सौर परियोजनाएं विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) व्यवहारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि हम सार्थक जुड़ाव और पहलों के माध्यम से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील, मूल्य–आधारित और सशक्त समाज बनाने में योगदान करें।

आभार:

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से, मैं अपने सभी हितधारकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपके अटूट समर्थन और सहयोग ने हमारी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम अपने व्यावसायिक साझेदारों, ग्राहकों और नियामक संस्थाओं–जिनमें टीएचडीसीआईएल, आरआरईसीएल, सीईआरसी, सीईए, सीडब्ल्यूसी, डीपीई, राज्य सरकारें और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय आदि के निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए विशेष रूप से आभारी हैं।

हमारे बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन का हार्दिक आभार, जिनके रणनीतिक नेतृत्व ने हमारी कंपनी के कार्य–निष्पादन को मजबूत किया है। मैं ट्रेडको की पूरी टीम के समर्पण और दृढ़ता की भी सराहना करता हूँ, जिनके प्रयासों ने हमें विद्युत क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित किया है।

हमारे शेयरधारक, जिनका विश्वास हमारी सफलता की आधारशिला है। हम ठेकेदारों, आपूर्तिकर्त्ताओं और वित्तीय साझेदारों के भी आभारी हैं, जिन्होंने हमारी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

जैसे–जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने साझा दृष्टिकोण 'स्थायी–ऊर्जा समाधान तैयार करना और एक हरित, अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान देने' के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ मिलकर, हम न केवल बुनियादी ढाँचे का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और जिम्मेदार प्रगति की एक स्थायी विरासत भी बना रहे हैं।

हमारे मिशन में आपके निरंतर विश्वास और आस्था के लिए धन्यवाद। भविष्य उज्ज्वल है– और हम इसे मिलकर बनाएंगे।

ह0
(राजीव कुमार विश्नाई)
अध्यक्ष
डीआईएन : 08534217

स्थान : जयपुर
दिनांक : 24.09.2025

दूसरी वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड की दूसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) निम्नलिखित बिजनेस के संचालन के लिए माइक्रो–सॉफ्ट टीम का उपयोग करते हुए अल्प अवधि सूचना के साथ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को अपराह्न 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') के माध्यम से आयोजित की जाएगी :

साधारण बिजनेसः

1. **31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना।**

   निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के इसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करनाः

   "संकल्प लिया जाना है कि कंपनी के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, कंपनी के वित्तीय विवरण और लेखा नीतियों का भाग बनने वाली सभी अनुसूचियों और अनुलग्नकों के साथ, नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और टिप्पणियां तथा बैठक के समक्ष रखी गई निदेशकों की रिपोर्ट को एतद्वारा प्राप्त किया जाए, उन पर विचार किया जाए और उन्हें स्वीकार किया जाए।"

2. **वर्ष 2025–26 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित करना।**

   निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के, एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करनाः

   "संकल्प लिया जाना है कि शेयरधारकों के अनुमोदन से, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के रूप में 1,50,000 रुपये + लागू जीएसटी को अनुमोदित किया जाता है।"

3. श्री राजीव कुमार विश्नोई (डीआईएनः 08534217) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर, पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं तथा इस संबंध में, निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या उसके बिना, एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

   "संकल्प लिया जाना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, श्री राजीव विश्नोई (डीआईएनः 08534217), नामित निदेशक, टीएचडीसी आईएल, जो इस बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे, को कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है।"

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

हस्ता/–
(नवीन कुमार)
कंपनी सचिव

सेवा में,
ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के सभी शेयरधारक
ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के सभी निदेशक
सांविधिक लेखा परीक्षक – आर.के. मालपानी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट

दिनांक : 18.09.2025
स्थान : ऋषिकेश

दूसरी वार्षिक आम बैठक की सूचना

टिप्पणियां :

1) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021, 05 मई, 2022, 28 दिसंबर, 2022 और 25 सितंबर, 2023 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के परिपत्रों के साथ पठित, 19 सितंबर, 2024 के अपने सामान्य परिपत्र के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम" / "बैठक") बिना किसी सामान्य स्थान पर, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बुलाने की अनुमति प्रदान की है। एमसीए परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक के लिए स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

2) वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में संचालित मानी जाएगी, जो वार्षिक आम बैठक का स्थान माना जाएगा। चूँकि वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए इस सूचना में रूट मैप संलग्न नहीं है।

3) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाला कोई भी सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और यह प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूँकि यह एजीएम एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म इस सूचना के साथ संलग्न नहीं है।

4) चूँकि यह वार्षिक आम बैठक एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची संलग्न नहीं है।

5) कॉर्पोरेट शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि को वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड के संकल्प की विधिवत प्रमाणित प्रति कंपनी को भेजें। उक्त प्रस्ताव/प्राधिकरण कंपनी को उसके पंजीकृत ईमेल पते e-mail: cstredco@thdc.co.in पर ईमेल द्वारा भेजा जाएगा।

6) वार्षिक आम बैठक में रखे जाने वाले किसी भी मामले से संबंधित कोई भी जानकारी चाहने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 21 सितंबर, 2025 तक या उससे पहले कंपनी को cstredco@thdc.co.in पर ईमेल के माध्यम से सूचित करें। कंपनी द्वारा इसका यथोचित उत्तर दिया जाएगा।

7) उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड से उन शेयरधारकों को भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत हैं।

8) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

9) कंपनी का निर्दिष्ट ईमेल पता cstredco@thdc.co.in है। किसी भी प्रश्न के लिए, शेयरधारक cstredco@thdc.co.in पर ईमेल भेज सकते हैं। इसके अलावा, यदि मतदान वोटिंग के माध्यम से होता है, तो शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना वोट इसी ईमेल आईडी पर भेजें।

10) अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त होने पर, नोटिस में प्रस्तावित संकल्प बैठक की तिथि को पारित माना जाएगा।

11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20(2) के साथ पठित कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 35 के अनुसार, कंपनियों को अपने शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आधिकारिक दस्तावेज भेजने की अनुमति है।

12) वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी नोटिस के अनुलग्नक के रूप में दी गई है तथा **अनुलग्नक–I** के रूप में चिह्नित की गई है।

दस्तावेजों के निरीक्षण की प्रक्रिया :

इस सूचना में उल्लिखित सभी दस्तावेज इस सूचना के जारी होने की तिथि से वार्षिक आम बैठक की तिथि तक सदस्यों के लिए बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक रूप में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे। अधिनियम की धारा 170 के अंतर्गत बनाए गए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर, अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिनमें निदेशकों की रुचि है, और सूचना में उल्लिखित संबंधित दस्तावेज सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध रहेंगे। जो सदस्य ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी को cstredco@thdc.co.in पर ईमेल भेजें।

सदस्यों द्वारा मतदान :

चूंकि सदस्यों की कुल संख्या 50 से कम है, इसलिए सदस्यों को एजीएम में हाथ उठाकर अपना मत देना होगा। तथापि, यदि एजीएम में मतदान की मांग की जाती है, तो सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी की निर्दिष्ट ई–मेल आईडी पर मतदान के अपने निर्णय की ई–मेल भेजें।

अनुलग्नक-II

नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त बायोडाटा

विवरण	श्री राजीव कुमार विश्नोई
आयु	58 वर्ष
जन्म तिथि	30.03.1967
नियुक्ति तिथि	25.03.2023
अर्हता	सिविल इंजीनियरिंग में ऑनर्स स्नातक
अनुभव	जलविद्युत परियोजना संरचनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण में 35 वर्षों का व्यापक और समृद्ध अनुभव
अन्य कंपनियों/मंचों में निदेशक पद/केएमपी	3
अन्य कंपनियों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (धारा 8 कंपनियों, विदेशी कंपनियों और निजी कंपनियों को छोड़कर)	लागू नहीं
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	–
अन्य निदेशकों के साथ संबंध	निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या	7 (सात)
पारिश्रमिक	शून्य
नियुक्ति की शर्तें	रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी

महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी

		रू.(लाख में) 2024–2025
क.	**राजस्व**	
1	परिचालन से राजस्व	0.00
2	अन्य आय	0.00
3	सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व	0.00
4	घटाएँ: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	0.00
5	**कुल राजस्व**	**0.00**
ख.	**व्यय**	
6	कर्मचारी लाभ व्यय	113.01
7	उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	56.86
8	प्रावधान	0.00
9	असाधारण मदें	0.00
10	**कुल व्यय**	**169.87**
11	**सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी) (5–10)**	**–169.87**
12	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	0.00
13	**सकल लाभ (पीबीआईटी)(11–12)**	**–169.87**
14	वित्त लागत	0.00
15	**कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगन खाता शेष में शुद्ध गतिविधि (13–14)**	**169.87**
16	आयकर	0.00
17	आस्थगित कर परिसंपत्ति	–40.85
18	**विनियामक आस्थगित खाता शेष में शुद्ध गतिविधि से पहले की अवधि के लिए लाभ (15–16–17)**	–129.02
19	विनियामक आस्थगित खाता शेष आय/(व्यय) में शुद्ध गतिविधि	0.00
20	**अवधि के लिए निरंतर परिचालन से लाभ (18+19)**	**–129.02**
21	अन्य समग्र आय	0.00
22	ओसीआई पर आयकर – आस्थगित कर संपत्ति/देयता	0.00
23	**कुल समग्र आय (20+21+22)**	**–129.02**
ग.	**परिसंपत्तियां**	
24	मूर्त और अमूर्त संपत्ति (नेट ब्लॉक)	66.81
25	प्रगति पर पूंजीगत कार्य	1412.42
26	अमूर्त संपत्तियां	1.34
27	वित्तीय परिसंपत्तियां–अन्य	4.45
28	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	72.36
29	गैर–चालू कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	0.00

30	चालू कर परिसंपत्तियां	4.21
31	वर्तमान परिसंपत्तियाँ–नकद एवं नकद समकक्ष	485.11
32	विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष	0.00
33	सहायक कंपनी में निवेश	0.00
34	कुल परिसंपत्तियां	2070.30
घ.	**देयताएं**	
35	इक्विटी शेयर पूंजी	1500.00
	अन्य इक्विटी	
36	आरक्षित एवं अधिशेष	–231.48
37	**अन्य समग्र आय**	
38	कुल अन्य इक्विटी	–231.48
39	दीर्घावधि ऋण	
40	गैर–चालू पट्टा देयताएं	0.00
41	अन्य दीर्घकालिक देयताएं और प्रावधान	0.00
42	व्यापार देयताएं– एमएसएमई के अतिरिक्त	0.00
43	दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	0.00
44	चालू देयताएं–अन्य	785.83
45	अन्य चालू देयताएं	15.95
46	विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष	0.00
47	कुल देयताएँ	2070.30
48	नेट वर्थ (35+38)	1268.52
49	नियोजित पूंजी (48–28)	1196.16
50	लाभांश	0.00
51	वर्द्धित मूल्य (11)	0.00
52	कर्मचारियों की संख्या	16.00
53	शेयरों की संख्या (लाख में) (10 रुपये प्रति शेयर सममूल्य)	150.00
ङ	**अनुपात**	
	प्रति शेयर आय, विनियामक आस्थगित खाता शेष में शुद्ध गतिविधि सहित (10 रुपये प्रति शेयर का सममूल्य) (रू. में)	(0.96)
	चालू अनुपात (चालू परिसंपत्तियां/चालू देयताएं)	0.64
	इक्विटी पर रिटर्न (करों के बाद शुद्ध लाभ/औसत स्टेकहोल्डर इक्विटी)	–8.60%
	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (ईबीआईटी/नियोजित पूंजी)	–11.33%
	प्रचालनों से राजस्व में कुल समग्र आय	0.00%
	प्रति शेयर लाभांश (रू. में) (प्रत्येक रू. 1000/– शेयर)	0.00
च	**प्रचालन कार्य–निष्पादन**	
	उत्पादन (एम.यू.)	लागू नहीं

निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री राजीव कुमार विश्नोई

श्री राजीव कुमार विश्नोई ने 25.03.2023 को ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। वे वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले, वे 01.09.2019 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यरत थे। उन्हें क्रमशः 06.08.2021 और 01.11.2021 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।

श्री विश्नोई बिट्स पिलानी से सिविल इंजीनियरिंग में ऑनर्स स्नातक हैं और उन्हें जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण में 35 वर्षों से अधिक का व्यापक और समृद्ध अनुभव है। उन्होंने एमबीए की योग्यता भी प्राप्त की है और रूस के मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से हाइड्रोलिक संरचनाओं और जलविद्युत निर्माणों के डिजाइन और निर्माण में व्यावसायिक उन्नयन कार्यक्रम में भाग लिया है। उन्होंने इटली के एसडीए बैकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के सहयोग से एएससीआई, हैदराबाद से लीडिंग स्ट्रैटेजिक चेंज में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी भाग लिया है। वे वर्तमान में बांधों की भूकंपीय सुरक्षा पर तकनीकी समिति के लिए बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

श्री सिपन कुमार गर्ग

श्री सिपन कुमार गर्ग ने 17 अगस्त, 2024 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण किया और उन्हें दिनांक 09.09.2025 से ट्रेडको बोर्ड में टीएचडीसीआईएल का नामित निदेशक नियुक्त किया गया है। श्री गर्ग ने वाणिज्य स्नातक (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त की है और वे भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (सीए), भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (सीएमए) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (सीएस) के सदस्य हैं।

इसके अतिरिक्त, श्री गर्ग एलएलबी डिग्री धारक होने के साथ कंपनी सचिव परीक्षा में रैंक धारक रहे हैं। श्री गर्ग को विद्युत क्षेत्र में वित्त, लेखा, कराधान और वाणिज्यिक पहलुओं में 24 वर्षों का व्यापक अनुभव है। उनके पूर्व अनुभव में अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में कार्य करना शामिल है जोकि दोनों कंपनियां एनटीपीसी लिमिटेड की समूह कंपनियों के अंतर्गत आती है। उन्होंने एनटीपीसी लिमिटेड में विभिन्न पदों पर कार्य किया है साथ ही कॉर्पोरेट लेखा समूह और कोल्डम जल विद्युत परियोजना में रणनीतिक भूमिकाओं में भी योगदान दिया है।

एनटीपीसी में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री गर्ग ने अपने उत्तरदायित्व, नैतिकता और कंपनी के प्रति अटूट समर्पण के माध्यम से पेशेवर स्तर पर महत्वपूर्ण उन्नति की। एक उत्कृष्ट वित्त पेशेवर के रूप में पहचाने जाने वाले, उनके द्वारा एनटीपीसी में निभाई गई प्रत्येक भूमिका में उत्कृष्टता हासिल की। वित्त में उनके नेतृत्व में अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को अपनी सर्वोच्च क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई और दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज में उल्लेखनीय बचत भी हुई।

श्री नीरज वर्मा

श्री नीरज वर्मा ने 23 जनवरी 2024 से ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में टीएचडीसीआईएल के नामित निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री नीरज वर्मा ने जनवरी 1990 में एक इंजीनियर प्रशिक्षु के रूप में टीएचडीसीआईएल के साथ अपनी यात्रा शुरू की, जो तीन दशकों से अधिक के उल्लेखनीय करियर की शुरुआत थी।

श्री वर्मा ने टिहरी जल विद्युत संयंत्र (एचपीपी) के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (एचईपी) की बाढ़ बहाली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी), विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना

(वीपीएचईपी), और ढुकवां जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के डिजाइन पहलुओं की देखरेख तक विस्तारित है। इसके अलावा, उन्होंने टिहरी–पीएसपी में एक वर्ष की अवधि के लिए महाप्रबंधक (निर्माण एवं कमीशनिंग), ईएम–वर्क्स के रूप में भी कार्य किया। वर्तमान में, श्री नीरज वर्मा, टीएचडीसी–एनसीआर के कौशाम्बी में कार्यपालक निदेशक हैं।

श्री कुमार शरद

श्री कुमार शरद ने 25 मार्च 2023 से ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में टीएचडीसीआईएल के नामित निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

श्री कुमार शरद वर्तमान में खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के कार्यपालक निदेशक (परियोजना) के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने 2021 में टीएचडीसीआईएल की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का कार्यभार संभाला, वह सिविल इंजीनियरिंग में 1987 बैच के स्नातक हैं। उन्होंने एनटीपीसी इंडिया लिमिटेड की परियोजना पर काम करते हुए कहलगांव के सिम्प्लेक्स कंक्रीट पाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में स्विचयार्ड बिल्डिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और पाइलिंग कार्य के निर्माण में अपना प्रारंभिक कार्य अनुभव प्राप्त किया। टीएचडीसीआईएल में शामिल होने से पहले, उन्होंने भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में इंजीनियर सिविल के रूप में कार्य किया और रेलवे साइडिंग का काम किया। वे 1990 में टीएचडीसीआईएल में शामिल हुए और नई टिहरी टाउन के निर्माण कार्य में अपनी सेवा दी। वे कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) में सिविल कार्यों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने टीएचडीसीआईएल के सतर्कता विभाग में महाप्रबंधक के रूप में अपनी प्रबंधकीय सेवाएं दी। उन्हें टीएचडीसीआईएल में सिविल और निर्माण कार्य में 30 वर्ष का अनुभव है और उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में टीएचडीसीआईएल के विकास में योगदान दिया है।

श्री योगेंद्र माथुर

श्री योगेन्द्र माथुर ने 25 मार्च 2023 से ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में आरआरईसीएल के नामित निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

योगेंद्र माथुर एक स्नातक इंजीनियर हैं और उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20 वर्षों से भी अधिक का व्यापक अनुभव है। वे वर्तमान में राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) में निदेशक तकनीकी के पद पर कार्यरत हैं, जहाँ वे नवीकरणीय ऊर्जा विकास को आगे बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण तकनीकी और रणनीतिक पहलों का नेतृत्व करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड और राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में नामित निदेशक के रूप में आरआरईसीएल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी मजबूत इंजीनियरिंग नींव और व्यापक अनुभव ने इस क्षेत्र में सतत ऊर्जा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

श्री दुर्गेश राजोरिया

श्री दुर्गेश राजोरिया राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें 27 जनवरी, 2025 से टीआरईडीसीओ राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में आरआरईसीएल के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

वित्तीय प्रबंधन, कॉर्पोरेट प्रशासन और रणनीतिक योजना में अपनी विशेषज्ञता के साथ, श्री दुर्गेश राजोरिया, ट्रेडको की वित्तीय रणनीतियों को आगे बढ़ाने और राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका नेतृत्व ट्रेडको की वित्तीय निगरानी को मजबूत करने और राज्य में ऊर्जा परियोजनाओं के सतत विकास को सुनिश्चित करने में योगदान देता है।

श्री दिनेश कुमार शर्मा

नामित निदेशक, आरआरईसीएल

श्री दिनेश कुमार शर्मा ने 21 मार्च 2024 से ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में आरआरईसीएल के नामित निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह मार्च 1985 से सेवारत हैं और बिजली क्षेत्र में दशकों का अनुभव प्राप्त किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन करते हुए, राज्य सरकार की बिजली क्षेत्र की कंपनियों के भीतर कई परियोजनाओं को संभाला है। वर्तमान में, वह राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) के पद पर हैं, जहाँ वे तकनीकी संचालन, परियोजना कार्यान्वयन और राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा पहलों की उन्नति की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के समापन के बाद, श्री दिनेश कुमार शर्मा, नामित निदेशक, आरआरईसीएल 19 अप्रैल, 2024 से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड में अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए। तदनुसार, वे 19 अप्रैल, 2024 से ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

श्री कैलाश चंद सोनी

नामित निदेशक, आरआरईसीएल

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) के महाप्रबंधक, स्नातक इंजीनियर श्री कैलाश चंद सोनी को 03.09.2024 से ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में आरआरईसीएल के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 11.11.2024 से ट्रेडको में नामित निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

अपनी सुदृढ़ तकनीकी पृष्ठभूमि और व्यापक प्रबंधकीय अनुभव के साथ, श्री सोनी ने आरआरईसीएल की नवीकरणीय ऊर्जा पहलों को आगे बढ़ाने और राजस्थान में सतत ऊर्जा विकास के टीआरईडीसीओ के मिशन में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व और विशेषज्ञता ने प्रभावी परियोजना निष्पादन के लिए दोनों संगठनों के बीच समन्वय को मजबूती प्रदान की।

श्री देवकीनंदन शर्मा

नामित निदेशक, आरआरईसीएल

श्री देवकीनंदन शर्मा ने 21 मार्च 2024 से ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में आरआरईसीएल के नामित निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्हें वित्तीय क्षेत्र, विशेषकर सरकारी सेवाओं में व्यापक अनुभव है। राजस्थान लेखा सेवा के 1996 बैच के सदस्य के रूप में, उन्होंने वित्त में विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है और विभिन्न राज्य सरकार के विभागों/संगठनों में वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया है। 27 जनवरी, 2025 से वे ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

श्री सुनीत माथुर

नामित निदेशक, आरआरईसीएल

श्री सुनीत माथुर शर्मा ने 27 जून 2024 से ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के बोर्ड में आरआरईसीएल के नामित निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनके पास बीई, वित्त में एमबीए है और वे एक प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक (बीईई) हैं। श्री माथुर ने नवंबर 1991 में आरआरईसीएल में एक जूनियर इंजीनियर के रूप में अपना करियर शुरू किया। पिछले तीन दशकों में, उन्होंने असाधारण नेतृत्व और समस्या–सुलझाने की क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में 32 वर्षों से अधिक और ऊर्जा संरक्षण में 15 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ और उनके समर्पण, कड़ी मेहनत और सक्रिय दृष्टिकोण को पहचानते हुए, श्री माथुर को महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया। श्री सुनीत माथुर, नामित निदेशक, आरआरईसीएल 31 अगस्त, 2024 से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड में अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए।

निदेशकों की रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष

2024–25

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड (''कंपनी'') के प्रदर्शन और उपलब्धियों पर दूसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में बहुत खुशी हो रही है।

1. कंपनी का परिचय और पृष्ठभूमि

निगमन और गठन

2022 में, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुसूची 'ए' मिनी रत्न सीपीएसई) और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल, राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एक राज्य सार्वजनिक उपक्रम) ने राजस्थान में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की अपार संभावनाओं की पहचान की है। भारत के महत्वाकांक्षी हरित ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान देने के लिए, उन्होंने एक मजबूत साझेदारी की कल्पना की।

4 जुलाई, 2022 को नीति आयोग से अनुमोदन के बाद, 30 जनवरी, 2023 को टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीएल के बीच एक संयुक्त उद्यम–सह–शेयरधारिता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत, क्रमशः 74:26 के इक्विटी शेयरिंग अनुपात वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता वाले अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) विकसित करना था। परिणामस्वरूप, 25 मार्च, 2023 को ''ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड'' का गठन किया गया। कंपनी की 50 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी और 5 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी है। निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने भी 8 अगस्त, 2023 के अपने प्त्र के माध्यम से इस संयुक्त उद्यम कंपनी के प्रस्ताव का समर्थन किया। कंपनी को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की सौर ऊर्जा पार्क योजना के अंतर्गत पाँच अलग–अलग परियोजनाओं में 10,000 मेगावाट क्षमता के यूएमआरईपीपी विकसित करने का कार्य सौंपा गया था। यह अनुमोदन इस शर्त के साथ दिया गया था कि विद्युत मंत्रालय और टीएचडीसीआईएल इक्विटी निवेश सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और अंतिम संयुक्त उद्यम समझौते (जेवीए) में उचित निकास और प्रथम अस्वीकृति के अधिकार (आरओएफआर) के प्रावधानों को शामिल करेंगे।

व्यवसाय की शुरूआत :

कंपनी को 14 जून 2023 को व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।

2. जारी परियोजनाएं

बोडाना सोलर पार्क (870 मेगावाट) के लिए सरकारी भूमि का प्रस्ताव

ट्रेडको ने राजस्थान के जैसलमेर जिले के नाचना–I तहसील के गांव बोडाना में 1735.05 हेक्टेयर सरकारी भूमि के एक खंड की पहचान की थी और लगभग 870 मेगावाट के सौर पार्क/यूएमआरईपीपी के विकास के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को सरकारी भूमि के इस खंड के आवंटन के लिए 31.01.2025 को आरआरईसीएल को प्रस्ताव भेजा था।

रणजीतपुरा सौर पार्क (1510 मेगावाट) के लिए सरकारी भूमि का प्रस्ताव

ट्रेडको ने गांव–रणजीतपुरा बरानी, तहसील–बज्जू, जिला–बीकानेर, राजस्थान में लगभग 3020 हेक्टेयर सरकारी भूमि के एक अन्य खंड की पहचान की थी और लगभग 1510 मेगावाट सौर पार्क/यूएमआरईपीपी के विकास के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को सरकारी भूमि के इस खंड के आवंटन के

लिए 13.03.2025 को आरआरईसीएल को प्रस्ताव भेजा था।

दोनों भूमि प्रस्ताव राजस्थान सरकार के संबंधित विभागों को सिफारिश के लिए आरआरईसीएल के समीक्षाधीन हैं, जिसका उद्देश्य राजस्थान में 870 मेगावाट और 1510 मेगावाट क्षमता के दो यूएमआरईपीपी/सौर पार्कों के विकास के लिए टीआरईडीसीओ राजस्थान लिमिटेड को भूमि आवंटित करना है।

3. **वित्तीय कार्य–निष्पादन** 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय कार्य निष्पादन, कंपनी के गठन और परियोजना गतिविधियों के आरंभ से संबंधित शुरूआती व्ययों को दर्शाता है। कंपनी ने इन प्रारंभिक व्ययों के कारण घाटा दर्ज किया।

31 मार्च, 2025 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
टर्नओवर	–
कर पूर्व लाभ/हानि (पीबीटी)	(169.87)
घटाएं– वित्तीय प्रभार	–
मूल्य ह्रास/परिशोधन से पहले लाभ/हानि (पीबीडीटी)	(169.87)
घटाएँ : मूल्यह्रास	–
कर–पूर्व शुद्ध लाभ/हानि (पीबीटी)	(169.87)
आस्थगित कर परिसंपत्ति	(40.85)
कर–पश्चात लाभ/हानि (पीएटी)	(129.02)
प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान	–
लाभांश कर	–
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	(129.02)

राजस्व मॉडल

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड का राजस्व विभिन्न स्रोतों से आने का अनुमान है, जिसमें कंपनी द्वारा विकसित अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्कों में कार्यरत सौर ऊर्जा डेवलपर्स से एकत्रित वार्षिक शुल्क भी शामिल है।

4. भावी दृष्टिकोण

ट्रेडको का लक्ष्य राजस्थान में चिन्हित दो सरकारी भूमि पर 870 मेगावाट और 1510 मेगावाट क्षमता के दो यूएमआरईपीपी/सोलर पार्क विकसित करना है। इसके लिए प्रस्ताव आरआरईसीएल को भेजे गए हैं ताकि वे राजस्थान सरकार के संबंधित विभागों को अपनी अनुशंसा भेज सकें और इस भूमि को ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को आवंटित कर सकें। इसके अलावा, ट्रेडको की योजना अगले चरणों में शेष 7620 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क विकसित करने की है।

5. पूंजी संरचना

- **शेयर पूंजी :**

  कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 50 करोड़ रुपये है, जो 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 5,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 15 करोड़ रुपये है।

- 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, निदेशक मंडल ने 09 अप्रैल 2024 को आयोजित अपनी बैठक में इसकी चुकता शेयर पूंजी 5,00,00,000 से बढ़ाकर 15,00,00,000 कर दी।

- **शेयरधारिता पद्धति (31 मार्च 2025 तक)**

क्र.सं.	श्रेणी	प्रत्येक 10 रू. के कुल शेयर	इक्विटी %
1	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	11100000	74%
2	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	3900000	26%
	कुल	**15000000**	**100%**

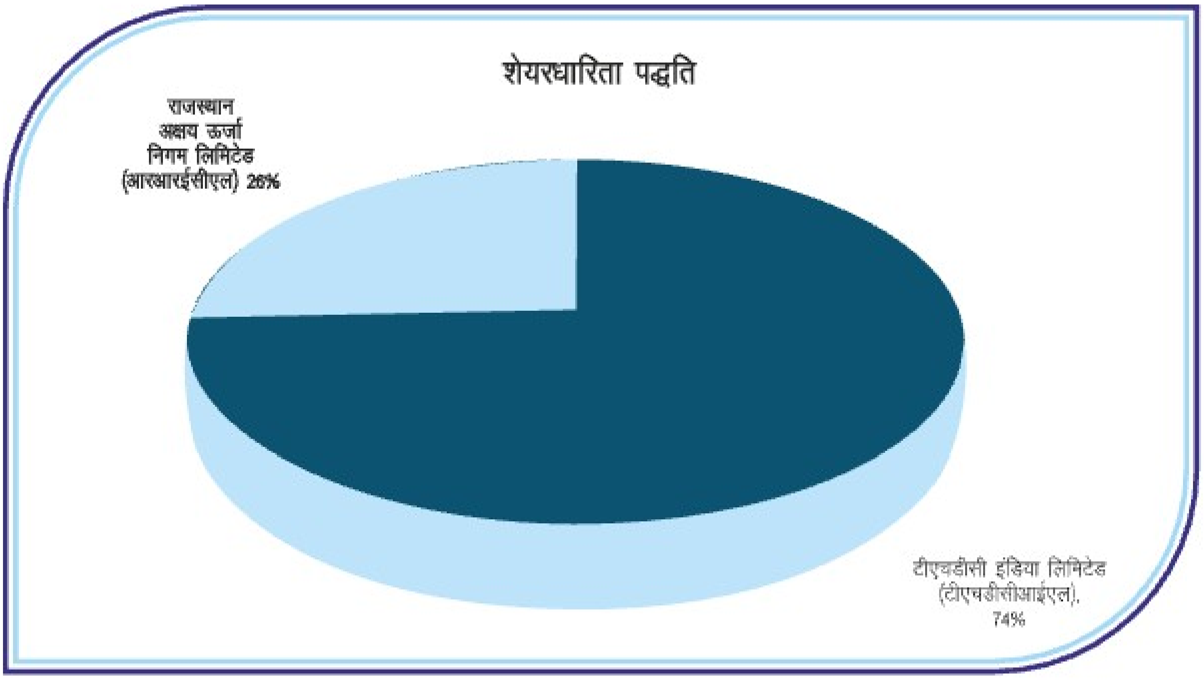

6. उधारी

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड की छठी बोर्ड बैठक के दौरान, निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में, आम बैठक में सदस्यों से प्राधिकार प्राप्त करने हेतु एक प्रस्ताव की अनुशंसा की। यह प्रस्ताव बोर्ड को समय–समय पर, ऐसी शर्तों और नियमों पर, और प्रतिभूति के साथ या उसके बिना, जैसा भी बोर्ड उचित समझे, धनराशि उधार लेने का अधिकार देता है। हालाँकि, यह शर्त रखी गई है कि कुल उधारी किसी भी समय 360 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी, जो 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की चुकता पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि से अधिक हो।

7. लाभांश

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, आपकी कंपनी ने अपने शेयरधारकों को कोई लाभांश नहीं दिया है क्योंकि कंपनी अभी तक प्रचालन में नहीं है और 31 मार्च 2025 तक कोई राजस्व सृजन नहीं हुआ है।

8. आरक्षित एवं अधिशेष में स्थानांतरण

2024–25 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को 129.02 लाख रुपये का घाटा हुआ है। इसका मुख्य कारण केएमपी और अन्य व्यय हैं।

9. निदेशक मंडल

कंपनी के निदेशक मंडल में संयुक्त उद्यम समझौते में निर्धारित बोर्ड संरचना के अनुसार टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीएल से नियुक्त नामित निदेशक शामिल हैं। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

1. श्री आर.के. विश्नोई, अध्यक्ष
2. श्री कुमार शरद, नामित निदेशक, टीएचडीसीआईएल
3. श्री नीरज वर्मा, नामित निदेशक, टीएचडीसीआईएल
4. श्री योगेन्द्र माथुर, नामित निदेशक, आरआरईसीएल
5. श्री दुर्गेश राजोरिया, नामित निदेशक, आरआरईसीएल

- बोर्ड में परिवर्तन :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान और रिपोर्ट की तिथि तक निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

क्र.सं.	नाम	धारित पद	परिवर्तन की तिथि	परिवर्तन के कारण
1.	श्री दिनेश कुमार शर्मा	नामित निदेशक	19.04.2024	निवृत्ति
2.	श्री सुनीत माथुर	नामित निदेशक	27.06.2024	नियुक्ति
3.	श्री सुनीत माथुर	नामित निदेशक	31.08.2024	निवृत्ति
4.	श्री कैलाश चंद सोनी	नामित निदेशक	03.09.2024	नियुक्ति
5.	श्री कैलाश चंद सोनी	नामित निदेशक	11.11.2024	निवृत्ति
6.	श्री योगेन्द्र माथुर	नामित निदेशक	11.11.2024	नियुक्ति
7.	श्री देवकीनंदन शर्मा	नामित निदेशक	27.01.2025	निवृत्ति
8.	श्री दुर्गेश राजोरिया	नामित निदेशक	27.01.2025	नियुक्ति
9.	श्री कुमार शरद	नामित निदेशक	08.09.2025	निवृत्ति
10.	श्री सिपन कुमार गर्ग	नामित निदेशक	09.09.2025	नियुक्ति

- प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, निदेशक मंडल ने 28.10.2024 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नियुक्त किया :

1. श्री अजय कुमार गोयल–मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. श्री विनय प्रकाश माथुर–मुख्य वित्तीय अधिकारी
3. श्री नवीन कुमार–कंपनी सचिव

हालाँकि, श्री अजय कुमार गोयल 2 जून, 2025 से मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में अपना पद खाली कर देंगे। इसके अलावा, श्री विनय प्रकाश माथुर 4 जून, 2025 से मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में अपना पद छोड़ देंगे।

इसके अलावा बोर्ड ने 11.09.2025 को आयोजित अपनी बैठक में श्री. एच. के. त्योगी को सीईओ और श्री.जी. रामाकृष्णन को 11.09.2025 से कंपनी का सि.एफ.ओ नियुक्त किया गया।

10. निदेशक मंडल की बैठकें और उपस्थिति :

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की सात (7) बैठकें आयोजित की गईं। दो लगातार बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था। 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के दौरान आयोजित सभी बोर्ड बैठकों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि तक संबद्ध निदेशकों की कुल संख्या	उपस्थिति	
			उपस्थित निदेशकों की संख्या	उपस्थिति %
1	09/04/2024	5	4	80%
2	09/05/2024	4	4	100%
3	18/07/2024	5	5	100%
4	19/09/2024	5	5	100%
5	28/10/2024	5	5	100%
6	31/12/2024	5	5	100%
7	20/03/2025	5	5	100%

11. निदेशकों और बोर्ड के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन

चूंकि कंपनी निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(4) के अनुसार बोर्ड द्वारा कंपनी के स्वयं के प्रदर्शन और इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन को नहीं अपनाया गया।

12. वार्षिक विवरणी

वर्तमान में कंपनी एक आधिकारिक वेबसाइट विकसित करने की प्रक्रिया में है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के अनुसार कंपनी का वार्षिक रिटर्न (ड्राफ्ट एमजीटी–7) होल्डिंग कंपनी अर्थात टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वार्षिक रिटर्न के मसौदे तक पहुंचने के लिए वेबलिंक है https://www-thdc.co.in/en/annual&return

13. होल्डिंग/सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों का विवरण

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) द्वारा गठित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। 31 मार्च, 2025 तक, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पास चुकता शेयर पूंजी का 74% हिस्सा है, जबकि आरआरईसीएल के पास चुकता शेयर पूंजी का 26% हिस्सा है। परिणामस्वरूप, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है।

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

14. कर्मचारियों का विवरण और संबंधित प्रकटीकरण

चूँकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रबंधकीय पारिश्रमिक संबंधी प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते, इसलिए कोई खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, कोई भी कर्मचारी उपरोक्त प्रावधानों के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं ले रहा है।

15. चक्रानुक्रम सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के साथ पठित, श्री राजीव कुमार विश्नोई – नामित निदेशक, टीएचडीसीआईएल, जिनका डीआईएन 08534217 है, रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने पर कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

16. सचिवीय मानकों का अनुपालन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

17. सांविधिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

मेसर्स आर. के. मालपानी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 103–ए, श्याम अनुकंपा, ओ–11, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001 को वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 16 मई 2025 को आयोजित अपनी 11वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। हस्ताक्षरित वित्तीय विवरण बोर्ड के अनुमोदन के बाद 16 मई 2025 को लेखा परीक्षकों को प्रस्तुत किए गए थे।

वैधानिक लेखा परीक्षकों ने उचित लेखापरीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो इस वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

18. सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के खातों पर एक शर्त रहित रिपोर्ट दी है। इसलिए, कंपनी के प्रबंधन के उत्तर लागू नहीं होते हैं।

19. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी टिप्पणी जारी की, अर्थात् वार्षिक लेखाजोखे पर ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने के लिए कहा है, जो रिपोर्ट में संलग्न है।

20. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013) के तहत प्रकटीकरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों और दर्ज मामलों की स्थिति निम्नानुसार है :

वर्ष 2023–24 के अंत तक प्रक्रियाधीन/जांच अधीन मामलों की संख्या	वर्ष 2024–25 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या	2024–25 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	2024–25 के अंत तक प्रक्रियाधीन/जांच अधीन मामलों की संख्या
0	0	0	0

21. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएँ

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अनुसार अपने किसी भी संबंधित पक्ष के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है। संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटीकरण फॉर्म एओसी–2 में किया गया है, जो अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के तहत आवश्यक है।

22. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय :

इस वर्ष के लिए जानकारी शून्य है क्योंकि परियोजना अभी निर्माणाधीन है।

23. महिला कर्मचारी कल्याण

वर्तमान में कोई महिला कर्मचारी नहीं है। आपका प्रबंधन एक विविध और समावेशी टीम बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

24. राजभाषा कार्यान्वयन

हमारी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

हमारा उद्देश्य द्विभाषी कार्य वातावरण को बढ़ावा देकर, अपने देश की भाषाई विविधता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि हिंदी का उपयोग हमारे रोजमर्रा के कामकाज से सहज रूप से जुड़ सके। इस नीति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता न केवल सरकारी निर्देशों के अनुरूप है, बल्कि हमारी संगठनात्मक संस्कृति को भी समृद्ध करती है, हमारी भाषाई धरोहर के लिए समावेशिता और सम्मान को बढ़ावा देती है।

25. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजनों के लिए पहलें

वर्तमान में कंपनी के कार्यों का प्रबंधन होल्डिंग कंपनी के कर्मचारी कर रहे हैं। जब भी कंपनी की गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की भर्ती की जाती है, तो आपका प्रबंधन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करेगा।

26. जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन

वर्तमान में, कंपनी निरंतरता और प्रभावी जोखिम शमन सुनिश्चित करने के लिए होल्डिंग कंपनी द्वारा स्थापित जोखिम प्रबंधन नीति को अपना रही है और उसका पालन कर रही है

27. स्वतंत्र निदेशक के संबंध में घोषणा

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2017 की अपनी अधिसूचना और 5 सितंबर, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से संयुक्त उद्यम को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट प्रदान की है। इसलिए, आपकी कंपनी को एक संयुक्त उद्यम कंपनी होने के नाते स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट प्राप्त है।

28. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। वर्ष के दौरान, इन नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और डिजाइन या संचालन में कोई भी रिपोर्ट योग्य भौतिक कमजोरी नहीं देखी गई।

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक श्री आर. के. मालपानी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्ट के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।

29. दिए गए ऋण और गारंटी, किए गए निवेश और प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई ऋण और गारंटी नहीं दी है और न ही कोई निवेश किया है या कोई प्रतिभूति दी है, इसलिए तत्संबंधी सूचना शून्य है।

30. विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण जो भविष्य में कंपनी की वर्तमान स्थिति और संचालन को प्रभावित करते हैं :

विनियामकों/न्यायालयों/न्यायाधिकरण द्वारा कोई महत्वपूर्ण भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है जो कंपनी की चालू स्थिति और उसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करेगा। इसलिए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (5) (vii) के अनुसार प्रकटीकरण लागू नहीं है।

31. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कार्यवाही का विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के दौरान, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत न तो कोई आवेदन दायर किया गया है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

32. 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के दौरान एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण और साथ में इसके कारण

आपकी कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी भी ऋण के संबंध में कोई एकमुश्त निपटान नहीं किया है।

33. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत यथापेक्षित 31 मार्च 2025 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में जानकारी और उक्त बकाया 45 दिनों से कम है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने एमएसएमई के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है।

34. 31.03.2025 तक व्यापार देयता अवधि निर्धारण अनुसूची

(रू.लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(I) एमएसएमई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(II) विवादित देनदारियां –एमएसएमई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

35. निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के अनुपालन में, निदेशकगण निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं:

(क) वार्षिक खाते तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया, साथ ही भौतिक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण थे, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष अवलोकन प्रदान किया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखाजोखा चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किया था; और

(ड़) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

36. सांविधिक प्रकटन

- **वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ**

  कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, वित्तीय वर्ष 2024–25, जिससे संबंधित वित्तीय विवरण हैं, के समापन और रिपोर्ट की तारीख के बीच घटित नहीं हुई हैं।

- **लागत रिकॉर्ड**

  केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड कंपनी के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बनाए जाने और अनुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है।

- **सार्वजनिक जमाएं**

  वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और 74 के अंतर्गत कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

- **व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन**

  वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी के कारोबार में कोई बदलाव नहीं हुआ।

- **प्रबंधकीय पारिश्रमिक की जानकारी**

  किसी भी कर्मचारी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हो रहा था। चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके अंतर्गत प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित नियम के प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए कोई खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

- **निदेशक से ऋण**

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी निदेशक से कोई ऋण नहीं लिया है।

अभिस्वीकृति

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल आरआरईसीएल, एमएनआरई, एसईसीआई, आईआरईडीए, राज्य सरकार और उनके मंत्रालयों, जिलाधिकारियों और राजस्थान सरकार के अन्य सभी जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा हमारे प्रयासों में दिए गए समर्थन और सहयोग के लिए अत्यंत आभारी है।

आपका निदेशक मंडल बोर्ड में आस्था, भरोसा और विश्वास व्यक्त करने के लिए सभी हितधारकों, व्यापारिक साझेदारों और ट्रेडको राजस्थान परिवार के सभी सदस्यों का धन्यवाद व्यक्त करता है।

आपके निदेशकगण ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी निरंतर विकास और उत्कृष्टता प्राप्त करती रहे, किए गए समर्पित प्रयासों और उत्साह के लिए अपनी ओर से हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करना चाहते हैं।

इसके अलावा, आपके निदेशकगण सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए रचनात्मक सुझावों की सराहना करते हैं तथा उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभारी हैं।

अंत में, मैं बोर्ड के अपने सम्मानित सहयोगियों को व्यक्तिगत धन्यवाद देता हूं तथा आशा करता हूं कि भविष्य में मुझे उनसे प्रोत्साहन, महत्वपूर्ण परामर्श और बहुमूल्य मार्गदर्शन मिलता रहेगा।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह०
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217

दिनांक : 11.09.2025
स्थान : जयपुर

फार्म सं. एओसी –2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबद्ध पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों / व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तृतीय प्रावधान के तहत कुछ निश्चित लेन–देन भी शामिल हैं।

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण जो आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं है

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरे
क)	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
ख)	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेनदेनों की प्रकृति	लागू नहीं
ग)	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
घ)	अनुबंधों या व्यस्थाओं या लेन–देनों की मुख्य शर्तें, जिसमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	लागू नहीं
ड़)	ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	लागू नहीं
च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
छ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	लागू नहीं
ज)	तिथि, जब अपेक्षित सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया	लागू नहीं

2. आर्म्स लेंथ आधार पर अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विस्तृत विवरण।

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरे
क)	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
ख)	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेनदेनों की प्रकृति	लागू नहीं
ग)	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
घ)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देनों की मुख्य शर्तें, जिसमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	लागू नहीं
ड)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	लागू नहीं

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह०
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217

दिनांक : 11.09.2025
स्थान : जयपुर

सतत भविष्य के लिए
सौर ऊर्जा

विवरण
वित्तीय
वित्तीय वर्ष 2024–25

वित्तीय विवरण – वित्तीय वर्ष 2024–25
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

31 मार्च, 2025 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र (रू. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
परिसंपत्तियां					
गैर–चालू संपत्तियां					
(क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण	2		66.81		35.83
(ख) संपत्ति के उपयोग का अधिकार	2		-		-
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	2		1.34		2.13
(घ) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3		1,412.42		906.12
(ड़) वित्तीय संपत्ति					
(i) सहायक कंपनी में निवेश.		-		-	
(ii) ऋण		-		-	
(iii) अन्य	4	4.45	4.45	4.45	4.45
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	5		72.36		31.51
(छ) गैर चालू कर निवल परिसंपत्तियां शुद्ध			-		-
(ज) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां			-		-
चालू परिसंपत्तियां					
(क) इन्वेंटरी			-		-
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) व्यापार प्राप्तियां		-		-	
(ii) नकद और नकद समतुल्य	6	485.11		57.64	
(iii) ऋण		-		-	
(iv) अग्रिम		-		-	
(v) अन्य		-	485.11	-	57.64
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	7		4.21		1.54
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	8		23.6		-
नियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष			-		-
कुल			**2,070.30**		**1,039.22**
इक्विटी और देयताएं					
इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	9		1,500.00		500.00
(ख) अन्य इक्विटी	10		−231.48		−102.46
कुल इक्विटी			**1,268.52**		**397.54**
गैर–चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार		-	-	-	
(ii) पट्टा देयताएं		-	-	-	-
(iii) गैर चालू वित्तीय देयताएं		-	-	-	-

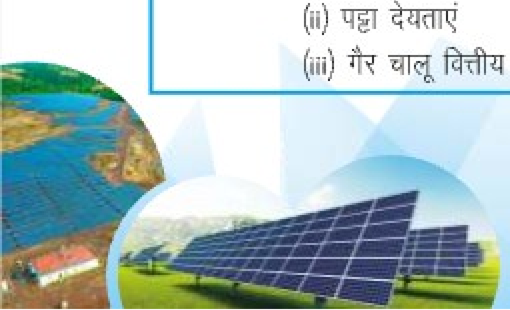

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

31 मार्च, 2025 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र (रू. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
(ख) अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं			-		-
(ग) प्रावधान			-		-
चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार		-		-	
(ia) पट्टा देयताएं		-		-	
(ii) व्यापार देयताएं					
क. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया		-		-	
ख. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		-		13.14	
(iii) अन्य	11	785.83	785.83	605.30	618.44
(ख) अन्य चालू देयताएं	12		15.95		23.24
(ग) प्रावधान			-		-
(घ) वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)			-		-
विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष			-		-
कुल			**2,070.30**		**1,039.22**
सामग्री लेखांकन नीतियाँ	1				
वित्तीय साधनों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां	16				
नोट 1 से 16 लेखा का अभिन्न अंग हैं					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217
स्थान–ऋषिकेश

ह०
(ए.के. गोयल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पैनः एसीएनपीजी6086डी
स्थान–जयपुर

ह०
(वी.पी. माथुर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पैनः एआईएपीएम7034जे
स्थान–जयपुर

ह०
(नवीन कुमार)
कंपनी सचिव
सदस्यता नं. ए46279
स्थान–ऋषिकेश

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते आर के मालपानी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 002759 सी

ह०
(राकेश झलानी)
पार्टनर
सदस्यता नं. 074142
यूडीआईएन 25074142बीएनक्यूजेजीटी6775

दिनांक–16.05.2025
स्थान–जयपुर

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रू. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
प्रचालनों से राजस्व			–		–
अन्य आय			–		–
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		–		–	
घटाएँ: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास		–	–	–	–
कुल आय			**–**		**–**
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	13		113.01		68.37
वित्त लागत			–		–
मूल्यह्रास एवं परिशोधन			–		–
सामान्य प्रशासन और अन्य व्यय	14		56.86		65.60
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण सीडब्ल्यूआईपी तथा भंडार एवं पुर्जों के लिए प्रावधान			–		–
कुल व्यय			**169.87**		**133.97**
विनियामक स्थगन खाता शेष, असाधारण मदें और कर से पहेल लाभ / (हानि),			**–169.87**		**–133.97**
असाधारण मदे–(आय) / व्यय– शुद्ध			–		–
कर और नियामक स्थगन खाता शेष से पूर्व लाभ / (हानि)			**–169.87**		**–133.97**
कर व्यय					
चालू कर					
आयकर			–		–
आस्थगित कर– (परिसंपत्ति) / देयता			–40.85		–31.51
विनियामक आस्थगन खाता शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ / (हानि)			**–129.02**		**–102.46**
विनियामक आस्थगन खाता शेष आय / (व्यय) में शुद्ध गतिविधि – कर के बाद शुद्ध			–		–
i) निरस्त परिचालन से अवधि के लिए लाभ / (हानि)			**–129.02**		**–102.46**
ii) अन्य समग्र आय					
(i) वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा :					

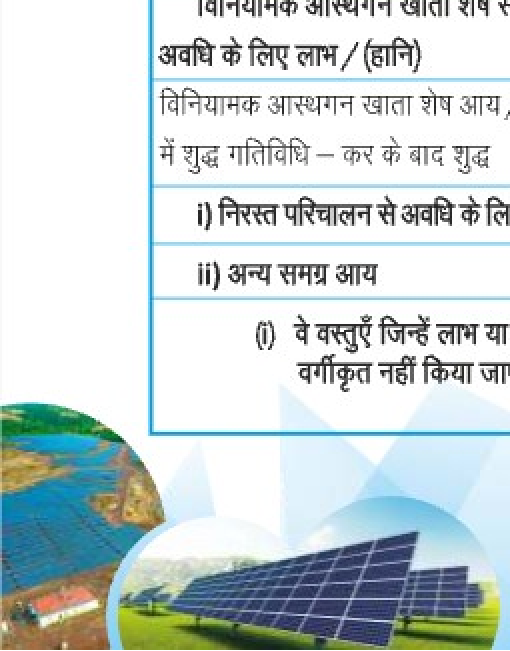

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रू. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः आकलन			–		–
अन्य समग्र आय			–		–
कुल समग्र आय (i+ii)			–		–
प्रति इक्विटी शेयर आय (नियामक आस्थगन खाते में शुद्ध गतिविधि सहित)			–129.02		–102.46
बेसिक (₹)		–0.96			–2.39
डाइल्यूटिड (₹)			–0.96		–2.39
प्रति इक्विटी शेयर आय (नियामक आस्थगन खाते में शुद्ध गतिविधि को छोड़कर)					
बेसिक (₹)		–0.96			–2.39
डाइल्यूटिड (₹)			–0.96		–2.39
सामग्री लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय साधनों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण					
खतों के लिए अन्य अन्य व्याख्यात्मक नोटस	16				
नोट : 1 से 16 लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217
स्थान–ऋषिकेश

ह०
(ए.के. गोयल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पैनः एसीएनपीजी6086डी
स्थान–जयपुर

ह०
(वी.पी. माथुर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पैनः एआईएपीएम7034जे
स्थान–जयपुर

ह०
(नवीन कुमार)
कंपनी सचिव
सदस्यता नं. ए46279
स्थान–ऋषिकेश

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते आर के मालपानी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 002759 सी

ह०
(राकेश झलानी)
पार्टनर
सदस्यता नं. 074142
यूडीआईएन 25074142बीएनक्यूजेजीटी6775

दिनांक–16.05.2025
स्थान–जयपुर

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले का लाभ		**–169.87**		**–133.97**
जोडें : विनियामक आस्थगन खाता शेष में शुद्ध गतिविधि (कर पश्चात निवल)		–		–
जोड़ें : विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल गतिविधि पर कर		–		–
विनियामक आस्थगन खाता शेष में परिवर्तन सहित कर–पूर्व लाभ,		**–169.87**		**–133.97**
के लिए समायोजन : –				
मूल्यह्रास	–		–	
मूल्यह्रास– सिंचाई घटक	–		–	
प्रावधान	–		–	
वित्त लागत	–		–	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	–		–	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	–		–	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	–		–	
एसओसीआईई के माध्यम से पूर्व अवधि समायोजन	–		–	
अपवादात्मक मदें	–	–	–	–
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		**–169.87**		**–133.97**
गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
के लिए समायोजन :–				
इन्वेंटरी	–		–	
व्यापार प्राप्य (बिना बिल वाले राजस्व सहित))	–		–	
अन्य परिसंपत्तियां	–23.6		–4.45	
ऋण और अग्रिम (चालू गैर चालू)	–2.68		–1.53	
अल्पसंख्यक ब्याज	–		–	
व्यापार देय और देयताएं	160.11		641.68	
प्रावधान (चालू गैर चालू)	–		–	
नियामक आस्थगन खाता शेष में शुद्ध गतिविधि	–	133.83	–	635.69
करों से पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**–36.04**		**501.72**
निगमित कर		–		–
परिचालन से शुद्ध नकदी (क)		**–36.04**		**501.72**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
में परिवर्तन :–				
अचल संपत्तियों की खरीद और सीडब्ल्यूआईपी	–537.92		–945.22	

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह का विवरण (रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
अचल संपत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी की आय	1.44		1.14	
पूंजी अग्रिम	–		–	
अनुदान	–	–	–	–
बैंक जमा पर ब्याज	–		–	
देर से भुगतान अधिभार	–		–	
नकदी और नकदी समकक्ष के अलावा अन्य बैंक शेष	–		–	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ख)		**–536.48**		**–944.08**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	1,000.00		500	
उधारों की अदायगी– गैर चालू	–		–	
उधार आय – गैर चालू	–		–	
उधार– चालू	–		–	
पट्टा देयता	–		–	
ब्याज और वित्त शुल्क	–		–	
लाभांश				
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग)		**1,000.00**		**500**
घ. वर्ष के दौरान शुद्ध नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**427.47**		**57.64**
ड. प्रारंभिक नकद और नकद समकक्ष		**57.64**		**–**
च. समापन नकद और नकद समकक्ष (घ+ङ)		**485.11**		**57.64**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217
स्थान–ऋषिकेश

ह०
(ए.के. गोयल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पैनः एसीएनपीजी6086डी
स्थान–जयपुर

ह०
(वी.पी. माथुर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पैनः एआईएपीएम7034जे
स्थान–जयपुर

ह०
(नवीन कुमार)
कंपनी सचिव
सदस्यता नं. ए46279
स्थान–ऋषिकेश

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते आर के मालपानी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 002759 सी

दिनांक–16.05.2025
स्थान–जयपुर

ह०
(राकेश झलानी)
पार्टनर
सदस्यता नं. 074142
यूडीआईएन 25074142बीएनक्यूजेजीटी6775

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) वर्तमान रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुई अवधि

(रू. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में शेष		5.00
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		1000.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि		**1500.00**

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

(2) पिछली रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुई अवधि

(रू. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में शेष		.
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		500
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि		**500**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०
(वी.पी. माथुर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पैनः एआईएपीएम7034जे
स्थान–जयपुर

दिनांक–16.05.2025
स्थान–जयपुर

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

ख. अन्य इक्विटी

(1) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

(रू. लाख में)

			आरक्षित एवं अधिशेष 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025			अन्य समग्र आय			
विवरण	टिप्पणी सं.	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	प्रतिधारित कमाई	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और अन्य	फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
प्रारंभिक जमा (i)		–	–102.46	–	–		–102.46	–	–102.46
अवधि के लिए लाभ			–129.02				–129.02	–	–129.02
अन्य समग्र आय			–				–		–
कुल समग्र आय			–129.02				–129.02	–	–129.02
गैर–नियंत्रक हित द्वारा									
इक्विटी योगदान								–	–
लाभांश			–				–		–
लाभांश पर कर			–				–		–
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण (ii)			–129.02				–129.02		–129.02
अंतिम शेष (i+ii+iii+iv)		–	–231.48	–	–		–231.48	–	–231.48

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217
स्थान–ऋषिकेश

ह०
(ए.के. गोयल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पैनः एसीएनपीजी6086डी
स्थान–जयपुर

ह०
(वी.पी. माथुर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पैनः एआईएपीएम7034जे
स्थान–जयपुर

ह०
(नवीन कुमार)
कंपनी सचिव
सदस्यता नं. ए46279
स्थान–ऋषिकेश

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते आर के मालपानी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 002759 सी

ह०
(राकेश झलानी)
पार्टनर
सदस्यता नं. 074142
यूडीआईएन 25074142बीएनक्यूजेजीटी6775

दिनांक–16.05.2025
स्थान–जयपुर

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

(2) 31 मार्च, 2024 को समाप्त पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधि (रू. लाख में)

			आरक्षित एवं अधिशेष 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024			अन्य समग्र आय			
विवरण	टिप्पणी सं.	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	प्रतिधारित कमाई	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और अन्य	फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
प्रारंभिक जमा(i)		–	–	–	–		–	–	–
अवधि के लिए लाभ			–102.46				–102.46	–	–102.46
अन्य समग्र आय			–				–		–
कुल समग्र आय			**–102.46**				**–102.46**	**–**	**–102.46**
गैर–नियंत्रक हित द्वारा इक्विटी							–	–	
योगदान									
लाभांश			–				–		–
लाभांश पर कर			–				–		–
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण (ii)			**–102.46**				**–102.46**		**–102.46**
अंतिम शेष (i+ii+iii+iv)		**–**	**–102.46**	**–**	**–**		**–102.46**	**–**	**–102.46**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217
स्थान–ऋषिकेश

ह०
(ए.के. गोयल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पैनः एसीएनपीजी6086डी
स्थान–जयपुर

ह०
(वी.पी. माथुर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पैनः एआईएपीएम7034जे
स्थान–जयपुर

ह०
(नवीन कुमार)
कंपनी सचिव
सदस्यता नं. ए46279
स्थान–ऋषिकेश

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते आर के मालपानी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 002759 सी

ह०
(राकेश झलानी)
पार्टनर
सदस्यता नं. 074142
यूडीआईएन 25074142बीएनक्यूजेजीटी6775
दिनांक–16.05.2025
स्थान–जयपुर

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणी 1– सामग्री लेखांकन नीति

1. सामान्य सूचना

1.1 ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड (कंपनी) भारत में स्थित है और शेयरों के साथ एक लिमिटेड कंपनी (सीआईएन: यू35106आरजे2023जीओआई086546) है और यह टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी के शेयर टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (74%) और आरआरईसीएल (26%) के पास हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता एस–12, ज्योति नगर एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान, 3020005 है, जिसका उद्देश्य भारत और विदेशों में सोलर पार्कों की पहचान, सर्वेक्षण, योजना, प्रचार, विकास, संचालन, रखरखाव करना है।

1.2 अनुपालन का विवरण

1.2.1 ये वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू व्यवसाय आधार पर तैयार किए गए हैं और ये यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखांकन मानदंडों (इंड एएस) और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जहां तक अधिसूचित और लागू हो) का अनुपालन करते हैं।

1.2.2 ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। भारतीय रूपये में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय अन्यथा उल्लेख किए गए अनुसार।

2. अनुमान एवं मान्यताएं

2.1 वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए ऐसे अनुमान और धारणाएँ आवश्यक हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। हालाँकि ऐसे अनुमान और धारणाएँ सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित और विवेकपूर्ण आधार पर बनाई जाती हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और धारणाओं से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे अंतर उस वर्ष में पहचाने जाते हैं जिसमें वास्तविक परिणाम सुगठित होते हैं।

3. प्रगतिशील पूंजीगत कार्य

3.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (जिसमें परियोजना भी शामिल है) पर किया गया व्यय, प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के अंतर्गत लागत पर किया जाता है। ऐसी लागतों में आयात शुल्क, गैर–वापसीयोग्य कर (व्यापार छूट और छूट में कटौती के बाद) सहित परिसंपत्ति की खरीद कीमत और ऐसी लागतें शामिल हैं जो सीधे परिसंपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार हैं जो प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से प्रचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है।

3.2 आपूर्ति–सह–निर्माण संविदा के संबंध में, स्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के रूप में माना जाता है।

3.3 निर्माणाधीन परियोजनाओं से सीधे जुड़ी लागत में कर्मचारी लाभ की लागत, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, साइट की तैयारी की लागत, प्रारंभिक डिलीवरी और संचालन शुल्क, स्थापना और असेंबली लागत, पेशेवर शुल्क, परियोजना के निर्माण में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास और परियोजनाओं के निर्माण से जुड़ी अन्य लागतें शामिल हैं। ऐसी लागतों को निर्माण परियोजनाओं/प्रगतिशील पूंजीगत कार्यों पर

व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है और कंपनी द्वारा अर्जित कोई भी आय सीडब्ल्यूआईपी में स्थानांतरित कर दी जाती है और सीडब्ल्यूआईपी में स्थानांतरित लागत से, जैसे सावधि जमा पर ब्याज, किराया रसीदें, विविध रसीदें, आदि घटा दी जाती है।

4. संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

4.1 आरंभ में पीपीई का आकलन अधिग्रहण / निर्माण की लागत पर किया जाता है, जिसमें डी–कमीशनिंग या बहाली लागत शामिल होती है, और जहां भी आवश्यक हो, मूल्यह्रास और हानि (यदि कोई हो) घटा दी जाती है। लागत में वह व्यय शामिल होता है जो सीधे परिसंपत्ति के अधिग्रहण / निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे मामलों में जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई है और उपयोग के लिए तैयार है, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनंतिम आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

4.2 मान्यता मानदंडों को पूरा करने वाले स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड–बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण को पूंजीकृत किया जाता है। उन स्पेयर पार्ट्स की वहनीय राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया जाता है, उस वक्त पहचान से हटा दी जाती है जब उनके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। अन्य स्पेयर पार्ट्स को इन्वेंट्री के रूप में रखा जाता है और उपभोग पर लाभ और हानि के विवरण में उल्लेख किया जाता है।

4.3 यदि मान्यता मानदंड पूरा हो जाता है तो महत्वपूर्ण हिस्से के प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण मरम्मत की लागत को पूंजीकृत किया जाता है।

4.4 पीपीई की किसी वस्तु का निपटान होने पर या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, अमान्य कर दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (जिसकी गणना शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में की जाती है) उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में शामिल की जाती है जिसमें परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त की गई थी।

5. अवमूल्यन और परिशोधन

5.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में वृद्धि / कटौतियों पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के उपयोग / निपटान के लिए तैयार होने की तिथि से / तक समानुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाता है।

5.2 टैरिफ निर्धारण के उद्देश्य से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। विनिमय दर में उतार–चढ़ाव, न्यायालयों के निर्णय आदि के कारण दीर्घकालिक देयता में वृद्धि / कमी के कारण परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि और परिवर्तन के मामले में, परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित अमोर्टाइज्ड मूल्यह्रास राशि प्रदान की जाती है।

5.3 संगठन की नीति के अनुसार, किसी भी मूर्त संपत्ति पर लगाया गया मूल्यह्रास, चालू पूंजीगत निर्माण कार्य में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

5.4 अस्थायी निर्माणों का अधिग्रहण / पूंजीकरण के वर्ष में 1 / –डब्ल्यूडीवी के रूप में रखकर पूर्णतः (100%) मूल्यह्रास किया जाता है

5.5 5000 / – रुपये तक लेकिन 1500 / – रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों के संबंध में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) खरीद के वर्ष में 100% मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

5.6 1500 / – रुपये तक की लागत वाली कम मूल्य की वस्तुएं, जो परिसंपत्ति की प्रकृति की हैं, उन्हें पूंजीकृत नहीं किया जाता और राजस्व में शामिल नहीं किया जाता।

5.7 उपयोग के अधिकार वाली भूमि की लागत पट्टे की अवधि या संबंधित परियोजना के जीवनकाल, जो भी कम हो, पर परिशोधित की जाती है।

5.8 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है तथा कानूनी उपयोग के अधिकार की अवधि या 3 वर्ष, जो भी पहले हो, पर

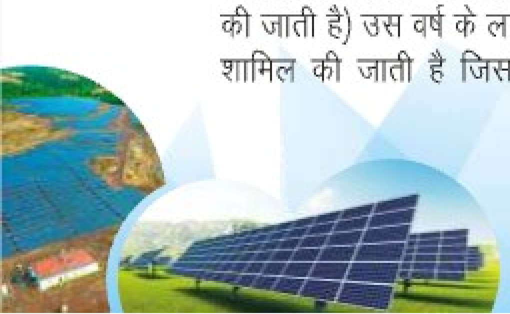

सीधी पंक्ति पद्धति पर परिशोधित किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन सीईआरसी विनियमन के अनुसार किया जाता है।

5.9 संयंत्र एवं मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे, जिन्हें पूंजीकृत किया गया है और ऐसी वस्तु की वहनीय राशि में जोड़ा गया है, का मूल्यह्रास संबंधित संयंत्र एवं मशीनरी के शेष उपयोगी जीवन पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति पर किया जाता है।

6. अमूर्त संपत्ति

6.1 अलग से अर्जित अमूर्त संपत्तियों का आकलन लागत पर आरंभिक मान्यता के आधार पर किया जाता है। आरंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और संचित क्षीणता हानि घटाकर रखा जाता है।

6.2 आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहीत सॉफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) को अधिग्रहण की लागत में से संचित परिशोधन और क्षीणता हानि (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है।

6.3 अमूर्त परिसंपत्ति की एक वस्तु को निपटान के समय या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, मान्यता रद्द कर दी जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में उल्लेखित किया जाता है, जब परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है।

6.4 संगठन द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार, किसी भी अमूर्त परिसंपत्ति पर परिशोधन, चालू पूंजी निर्माण कार्य में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

7. उचित मूल्य आकलन

7.1 उचित मूल्य वह मूल्य होता है जो मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। आम तौर पर प्रारंभिक मान्यता पर, लेनदेन मूल्य उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत है।

7.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेनदेन मूल्य उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो वह अन्य बातों के साथ–साथ उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिनके लिए प्रासंगिक अवलोकनीय इनपुट के उपयोग को अधिकतम करने और अवलोकनीय इनपुट के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए उचित मूल्य के मापन हेतु पर्याप्त डेटा उपलब्ध है।

7.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देयताएँ जिनके लिए उचित मूल्य का आकलन किया जाता है या वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य क्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण निम्नतम स्तर के इनपुट पर आधारित है, जो समग्र रूप से उचित मूल्य आकलन के लिए महत्वपूर्ण है :

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य आकलन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय है।

स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य आकलन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट अवलोकनीय नहीं है।

7.4 वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनाई जाने वाली उचित मूल्य तकनीकों की समीक्षा करती है और ऊपर निर्दिष्ट किसी भी उपयुक्त स्तर को लागू करके तदनुसार उचित मूल्य निर्धारित करती है।

8. नकदी और नकदी समकक्ष

तुलन पत्र में नकदी और नकदी समकक्ष में बैंकों में नकदी (ऑटो स्वीपिंग एफडी), हाथ में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल होती हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

9. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां।

9.1 वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ–साथ ऐसी कोई भी परिसंपत्ति शामिल होती है जो नकद हो, नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए संविदात्मक दायित्व या ऐसी शर्तों के तहत वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता के लिए आदान–प्रदान करना होता है, जो कि कंपनी के लिए संभावित रूप से अनुकूल हों। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्यता दी जाती है, जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है।

9.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी और नकदी समकक्ष, बैंक बैलेंस, कर्मचारियों को अग्रिम राशि, सुरक्षा जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

9.3 कंपनी के मौजूदा व्यापार मॉडल और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं के आधार पर, निम्नानुसार वर्गीकरण किया गया है :

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ,

2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ, और

3) लाभ / हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

9.4 प्रारंभिक पहचान और आकलन :– व्यापार प्राप्तियों को छोड़कर, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए उत्तरदायी लेनदेन लागत शामिल है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय परिसंपत्तियों के लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है। जहां लेनदेन मूल्य उचित कीमत का आकलन नहीं है और उचित मूल्य का निर्धारण एक मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके किया जाता है, जो बाजार से अवलोकन योग्य डेटा का उपयोग करता है, लेनदेन मूल्य और उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है और अन्य मामलों में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) पद्धति का उपयोग करके वित्तीय इंस्ट्रयुमेंट के जीवनकाल में विस्तारित किया जाता है। ईआईआर की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है।

9.5 कंपनी व्यापार प्राप्तियों का आकलन उनके लेनदेन मूल्य पर करती है क्योंकि इसमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है।

10. वित्तीय देनदारियां

10.1 कंपनी की वित्तीय देनदारियां किसी अन्य इकाई को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति सौंपने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान–प्रदान करने का संविदात्मक दायित्व है, जो कि कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हैं।

10.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापार एवं अन्य देयताएं शामिल हैं।

10.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता और आकलन

10.3.1 वित्तीय देनदारियों को आरंभ में उचित मूल्य में से लेनदेन लागत घटाकर पहचाना जाता है जो सीधे वित्तीय देनदारियों के मुद्दे से संबंधित होती है और बाद में परिशोधित लागत पर आकलन किया जाता है। प्रारंभिक मान्यता पर आय (लेनदेन लागत का शुद्ध) और उचित मूल्य के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर को लाभ और हानि के विवरण में या 'निर्माण संबंधी व्यय' में, यदि कोई अन्य मानक प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति देता है, दर्शाया जाता है।

10.3.2 उधारों को चालू देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार न हो।

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

11.1 प्रावधान उस वक्त स्वीकार किये जाते हैं, जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई

वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होता है और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे प्रावधान तुलन पत्र की तारीख को दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक राशि के प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

11.2 आकस्मिक देनदारियों का खुलासा प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को इनकी समीक्षा की जाती है और प्रबंधन द्वारा लगाए गए वर्तमान अनुमानों का उपयोग करके वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।

11.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब आर्थिक लाभ का आगमन संभावित हो।

12. राजस्व मान्यता और अन्य आय

12.1 भारतीय लेखा मानक 115 के तहत, राजस्व की पहचान तब की जाती है जब इकाई किसी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को हस्तांतरित करके निष्पादन दायित्व पूरा करती है। कंपनी राजस्व (बिक्री) उत्पन्न नहीं कर रही है और शुरुआती चरण में है।

13. व्यय

13.1 प्रत्येक मामले में 5,00,000/– रुपये या इससे कम के पूर्वभुगतान व्ययों को उनके वास्तविक लेखा शीर्षों में दर्ज किया जाता है।

13.2 2.00 करोड़ रुपये से अधिक की पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक राशियों का पुनः उल्लेख कर ठीक किया जाता है, जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई आरंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई आरंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के आरंभिक शेष को पुनः दर्शाया जाता है।

13.3 वाणिज्यिक परिचालन से पूर्व शुद्ध आयव्यय को संबंधित परिसंपत्तियों और प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

13.4 डीपीई दिशानिर्देश के तहत निर्धारित पिछले वर्ष के लाभ के उचित प्रतिशत पर राशि अनुसंधान एवं विकास के लिए गैर–व्यपगत निधि के रूप में अलग रखी गई है।

14. कर्मचारी लाभ

14.1 कंपनी के कर्मचारी मूल कंपनी से सेकंडमेंट पर हैं। कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाएं, अवकाश नकदीकरण, दीर्घ सेवा पुरस्कार, वित्तीय लाभ योजना और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं। मूल कंपनी के साथ व्यवस्था के अनुसार, कंपनी पीएफ और पेंशन योजना के लिए कंपनी में की गई सेवा की अवधि के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग का अंशदान करती है। अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए, कंपनी मूल कंपनी के परामर्श के अनुसार उपयुक्त समायोजन करती है। एक्चुरियल लाभ/हानि, यदि कोई हो, मूल कंपनी द्वारा लेखबद्ध की जाएगी।

14.2 भारत सरकार के क्रमांक डब्ल्यू–02/0028/2017/डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XIII/17 के अनुसार, सेवानिवृत्ति लाभ बरकरार रखा गया है, जिसके अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ), ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और पेंशन के लिए मूल वेतन (बीपी) और महंगाई भत्ते (डीए) के 30% तक का योगदान कर सकते हैं।

15. आयकर

आयकर व्यय में चालू और आस्थगित कर शामिल हैं। कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित हो। इस मामले में कर को सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में भी मान्यता दी जाती है।

15.1 चालू आयकर

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कंपनी द्वारा चालू कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

15.2 आस्थगित कर

15.2.1 आस्थगित कर को तुलन पत्र दृष्टिकोण के आधार पर मान्यता दी जाती है। कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहनीय राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संगत कर आधारों के बीच अंतर को तुलन पत्र विधि का उपयोग करके लेखाओं में शामिल किया जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, और आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती कर योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर घाटे और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि इस बात की संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके तहत उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर घाटे और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है, यदि अस्थायी अंतर किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता है, ऐसे मामलों में जहां लेनदेन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है और न ही लेखांकन लाभ या हानि को।

15.2.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को समीक्षा की जाती है तथा उसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि यह सम्भावना न रहे कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध अस्थायी अन्तरों का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का उन कर दरों पर आकलन किया जाता है जिनकी उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है, जिसमें देनदारियों का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति का आकलन होता है, जो कि कर की दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होते हैं, जिन्हें तुलन पत्र की तारीख तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का आकलन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग तिथि पर अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा के तरीके से उत्पन्न होंगे।

15.2.3 आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित हो, जिस स्थिति में इसे अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब ऑफसेट किया जाता है जब वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा कर योग्य इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाओं पर लगाए गए आयकरों से संबंधित होती हैं, जहाँ शेष राशि का निवल आधार पर निपटान का इरादा होता है।

15.2.4 आस्थगित कर परिसंपत्तियों में भारत के कर कानूनों के अनुसार चुकाया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) शामिल है, जिससे भविष्य में आयकर देयता के विरुद्ध सेट–ऑफ की उपलब्धता के रूप में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना होती है। मैट क्रेडिट को तुलन पत्र में आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके और यह संभावना हो कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध मैट क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है।

15.2.5 जब आयकर उपचारों के बारे में अनिश्चितता होती है, तो कंपनी यह आकलन करती है कि क्या कर प्राधिकारी अनिश्चित कर उपचार को स्वीकार करने की संभावना रखता है। यदि यह निष्कर्ष निकालता है कि कर प्राधिकारी अनिश्चित कर उपचार को स्वीकार करने की संभावना नहीं रखता है, तो कर

योग्य आय, कर आधार और अप्रयुक्त कर घाटे और अप्रयुक्त कर क्रेडिट पर अनिश्चितता के प्रभाव को मान्यता दी जाती है। अनिश्चितता के प्रभाव को उस विधि का उपयोग करके पहचाना जाता है, जो प्रत्येक मामले में अनिश्चितता के परिणामः सबसे संभावित परिणाम या अपेक्षित मूल्य को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। प्रत्येक मामले के लिए, कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि प्रत्येक अनिश्चित कर उपचार को अलग से या किसी अन्य या कई अन्य अनिश्चित कर उपचारों के साथ संयोजन में माना जाए, जो उस दृष्टिकोण पर आधारित है जो कि अनिश्चितता के समाधान को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है।

16. नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह का विवरण इंड एएस 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह के विवरण के उद्देश्य के लिए नकदी और नकदी समकक्ष में हाथों में होने वाली नकदी, वित्तीय संस्थानों के पास कॉल पर रखी गई जमाराशियां, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले अन्य अल्पकालिक, अत्यधिक तरल निवेश शामिल हैं, जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम, और बैंक ओवरड्राफ्ट के अधीन हैं। हालाँकि, तुलन पत्र प्रस्तुति हेतु, बैंक ओवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में चालू देनदारियों में उधार के भीतर दर्शाया जाता है।

17. चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण –

कंपनी तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू/ गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है।

17.1 किसी परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब इसकी :

- सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद है
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा गया है
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है, अथवा
- नकदी या नकदी समतुल्य, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने तक विनिमय या देयता के निपटान के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न लगाया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

17.2 किसी दायित्व को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उसकी

- सामान्य परिचालन चक्र में निपटारा होने की उम्मीद है
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा गया
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर निपटाया जाना है, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने तक देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

17.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

18. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ या हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ या हानि को प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और साथ ही उन इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है जिन्हें सभी संभावित डाइल्यूटिड इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किया जा सकता था।

वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए किसी भी बोनस शेयर के लिए प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए इक्विटी शेयरों और संभावित रूप से कमजोर इक्विटी शेयरों की संख्या को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित किया जाता है।

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणी :–2

31 मार्च, 2025 तक संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त संपत्ति

(रू.लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2024 तक	अवधि के दौरान अतिरिक्त	अवधि के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2025 तक	01 अप्रैल, 2024 तक	01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
क. संपत्ति, संयंत्र, उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. भूमि फ्री होल्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. डूब क्षेत्र में भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. भवन अस्थाई ढांचे	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. सड़क पुल और पुलिया	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. जल निकासी सीवरेज और जल आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ईडीपी मशीनें	14.46	6.56	–1.2	19.82	3.87	5.77	0.14	9.78	10.04	10.59
10. विद्युत संस्थापन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. पारेषन लाइनें	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. कार्यालय और अन्य उपकरण	5.43	10.02	–0.08	15.37	0.72	2.28	0.31	3.31	12.06	4.71
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	23.38	29.08	–0.16	52.30	2.86	4.23	0.51	7.60	44.71	20.53
14. वाहन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15. रेलवे साइडिंग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध और स्पिलवे	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17. हाइड्रोलिक कार्य – सुरंग, पेनस्टॉक, नहरें आदि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग	**43.27**	**45.66**	**–1.44**	**87.49**	**7.45**	**12.27**	**0.96**	**20.68**	**66.81**	**35.83**

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणी :–2

31 मार्च, 2025 तक संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त संपत्ति

(रू. लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2024 तक	अवधि के दौरान अतिरिक्त	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2025 तक	01 अप्रैल, 2024 तक	01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
पिछली अवधि के आंकड़े	**–**	**39.67**	**3.60**	**43.27**	**–**	**6.5**	**0.95**	**7.45**	**35.83**	**–**
ख. अमूर्त संपत्तियां										
1. अमूर्त संपत्ति–सॉफ्टवेयर	2.36	–	–	2.36	0.23	0.79	–	1.02	1.34	2.13
उप योग	**2.36**	**–**	**–**	**2.36**	**0.23**	**0.79**	**–**	**1.02**	**1.34**	**2.13**
पिछली अवधि के आंकड़े	**–**	**2.36**	**–**	**2.36**	**–**	**0.23**	**–**	**0.23**	**2.13**	**–**
ग. उपयोग अधिकार संपत्ति										
1. उपयोग अधिकार – भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. उपयोग अधिकार – कोयला युक्त भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. उपयोग अधिकार – भवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. उपयोग अधिकार – वाहन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पिछली अवधि के आंकड़े	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मूल्यह्रास का विवरण					**चालू वर्ष**		**पिछला वर्ष**			
कोयला सूची में स्थानांतरित मूल्यह्रास					–		–			
मूल्यह्रास ईडीसी को हस्तांतरित					13.06		6.73			
पी एंड एल के विवरण में स्थानांतरित मूल्यह्रास					–		–			
समूह से सिंचाई योगदान – लाभ एवं हानि विवरण में स्थानांतरित मूल्यह्रास					–	13.06	–	6.73		
1500.00 रुपये से अधिक लेकिन 5000.00 रुपये से कम कीमत वाली अचल संपत्तियां जो वर्ष के दौरान पूरी तरह से खरीदी और मूल्यह्रास की गईं					0.42		0.39			

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणी :–3

प्रगति पर पूजीगत कार्य और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तिया

(रू. लाख में)

विवरण			31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए					31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए			
	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2024 तक	01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान परिवर्धन	01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान समायोजन	01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2025 तक	01 अप्रैल, 2023 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान संयोजन	अवधि के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2024 तक
क. प्रगति पर निर्माण कार्य											
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सड़कें पुल और पुलिया		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जल आपूर्ति सीवरेज और जल निकासी		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हाइड्रोलिक कार्य, बांध स्पिलवे, जल चौनल, वियर, सर्विस गेट और अन्य हाइड्रोलिक कार्य		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
वनरोपण जलग्रहण क्षेत्र		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
विद्युत स्थापना और उप–स्टेशन उपकरण		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सौर ऊर्जा का विकास		23.60	–	–23.60	–	–	–	23.60	–	–	23.60
अन्य		7.87	47.22	–55.09	–	–	–	7.87	–	–	7.87
व्यय लंबित आवंटन											
सर्वेक्षण एवं विकास व्यय		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
निर्माण के दौरान व्यय	15	874.65	537.77			1,412.42	–	874.64			874.64
पुनर्वास											
पुनर्वास व्यय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल		**906.12**	**584.99**	**–78.69**	**–**	**1,412.42**	**–**	**906.12**	**–**	**–**	**906.12**
पिछली अवधि के आंकड़े		**–**	**906.12**	**–**	**–**	**906.12**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणी :–4

गैर चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां–अन्य (रू.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
प्रतिभूति जमा		4.45		4.45
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमा राशियां		–		–
सहायक कंपनी में आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि		–		–
कुल		**4.45**		**4.45**

टिप्पणी :–5

आस्थगित कर परिसंपत्ति (रू.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		72.36		31.51
कुल		**72.36**		**31.51**

टिप्पणी :–6

नकद और नकद समतुल्य (रू.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
नकद एवं नकद समतुल्य बैंकों के पास शेष राशि (बैंकों के पास ऑटो स्वीप जमा सहित)		485.11		57.64
चेक–ड्राफ्ट हाथ में		–		–
कुल		**485.11**		**57.64**

टिप्पणी :–7

वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध) (रू.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
जमा कर		4.21		1.53
कुल		**4.21**		**1.53**

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणी :— 8

अन्य चालू परिसंपत्तियां (रू.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
प्रीपेड खर्चे		–		–
अर्जित ब्याज		–		–
निपटान के लिए रखी गई बीईआर संपत्तियां		–		–
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित		–		–
कर्मचारी लागत				
उप–योग		**–**		**–**
अन्य अग्रिम (अनारक्षित)				
–कर्मचारियों को		–		–
–अन्य को		**23.60**		**–**
		23.60		**–**
उप–योग–अन्य अग्रिम		**23.60**		**–**
कुल		**23.60**		**–**

टिप्पणी :— 9

शेयर पूंजी (रू.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
अधिकृत				
–इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10/–	5,00,00,000	5,000.00	5,00,00,000	5,000.00
–जारी किए गए सब्सक्राइब्ड और प्रदत्त	1,50,00,000	1,500.00	50,00,000	500.00
इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10/– पूर्णतः प्रदत्त				
कुल	**1,50,00,000**	**1,500.00**	**50,00,000**	**500.00**

टिप्पणी :— 9.1

कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण (रू.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5% से अधिक शेयर होल्डिंग				
I टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	11100000	74	37000000	74
II आरआरईसीएल	3900000	26	13000000	26
कुल	**15000000**	**100**	**50000000**	**100**

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणी :– 9.2

शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का समाधान (रू.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
क. प्रारंभिक	50,00,000	500	–	–
जारी	1,00,00,000	1,000.00	50,00,000	500
अंत	**1,50,00,000**	**1,500.00**	**50,00,000**	**500**

टिप्पणी :– 10

अन्य इक्विटी (रू.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित		–		–
प्रतिधारित आमदनी		–231.48		–102.46
डिबेंचर मोचन रिजर्व		–		–
डिबेंचर मोचन रिजर्व		–		–
कुल		**–231.48**		**–102.46**

टिप्पणी :– 11

चालू–वित्तीय देनदारियाँ–अन्य (रू.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
देयताएं				
व्यय के लिए				
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए	2.46		–	
अन्य के लिए	**781.15**	**783.61**	**603.27**	**603.27**
जमा राशि, ठेकेदारों से प्रतिधारण राशि आदि	1.94		1.75	
घटाएँ: उचित मूल्य समायोजन–सुरक्षा	–	1.94	–	1.75
जमा/प्रतिधारण राशि				
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ–सुरक्षा		–		–
जमा/प्रतिधारण राशि				
अन्य देयताएं		0.28		–
ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं				
कुल		**785.83**		**605.02**

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणी :– 12

अन्य चालू देयताएं

(रू.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
देयताएं				
मूल्यह्रास के विरुद्ध अग्रिम के खाते में		–		–
आस्थगित राजस्व				
अन्य देयताएं		15.96		23.24
सिंचाई घटक में योगदान				
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त योगदान	–		–	
घटाएं :–				
अवमूल्यन के लिए समायोजन	–	–	–	–
कुल		**15.96**		**23.24**

टिप्पणी :– 13

कर्मचारी लाभ व्यय

(रू.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		462.91		686.96
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान		81.78		101.04
कल्याण व्यय		8.23		11.07
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		–		–
कुल		**552.92**		**799.07**
घटाएं :				
ईडीसी में स्थानांतरित		439.91		730.7
कुल		**113.01**		**68.37**

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणी :– 14

ऊर्जा प्रशासन और अन्य व्यय

(रू.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
किराया				
कार्यालय के लिए किराया	24.07		28.41	
कर्मचारियों के आवास का किराया	–	24.07	1.42	29.83
दर और कर		0.37		–
जल उपयोग शुल्क		–		–
बिजली और ईंधन		3.13		3.03
बीमा		–		–
संचार		3.85		6.16
मरम्मत और अनुरक्षण				
संयंत्र और मशीनरी	–		–	
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत	–		–	
भवन	0.27		0.01	
अन्य	5.05	5.32	2.92	2.93
यात्रा और परिवहन		14		29.45
वाहन किराया और चलाना		11.1		14.15
सुरक्षा		5.31		–
अन्य सामान्य खर्च		61.91		66.64
लेखापरीक्षकों को भुगतान		1.77		1.77
संपत्तियों की बिक्री से हानि		0.36		0.86
सर्वेक्षण और अन्वेषण व्यय		55.09		–
प्रारंभिक व्यय बट्टे खाते में डाले गए		–		63.83
कुल		**186.28**		**218.65**
घटाएं :–				
कोयला सूची के लिए आवंटित		–		–
ईडीसी में स्थानांतरित		129.42		153.05
कुल		**56.86**		**65.60**

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणी :– 15

निर्माण के दौरान व्यय (रू.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
व्यय				
कर्मचारी लाभ व्यय				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	349.90		618.58	
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	81.78		101.04	
कल्याण	8.23		11.07	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय	0.00	439.91	0.00	730.69
अन्य व्यय				
किराया				
कार्यालय का किराया	24.07		28.41	
कर्मचारी आवास हेतु किराया	0.00	24.07	1.42	29.83
दर और कर		0.37		0.00
जल उपयोग प्रभार		0.00		0.00
विद्युत एवं ईंधन		3.13		3.03
बीमा		0.00		0.00
पत्राचार		3.85		6.16
मरम्मत और अनुरक्षण				
संयंत्र और मशीनरी	0.00		0.00	
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत	0.00		0.00	
भवन	0.27		0.01	
अन्य	5.05	5.32	2.92	2.93
यात्रा और परिवहन		14		29.45
वाहन किराया और चलाना		11.1		14.15
सुरक्षा		5.31		0.00
अन्य सामान्य खर्च		61.91		66.64
संपत्तियों की बिक्री से हानि		0.36		0.86
ब्याज अन्य		0.00		0.00
मूल्यह्रास		13.06		6.73
कुल व्यय(क)		**582.39**		**890.47**
प्राप्तियां				
अन्य आय				
ब्याज				
बैंक जमा से	42.06		15.34	
अन्य से	0.00	42.06	0.00	15.34
प्राप्त किराया		2.38		0.32
विविध प्राप्तियां		0.2		0.17
कुल प्राप्तियां (ख)		**44.64**		**15.83**
कराधान से पहले शुद्ध व्यय		**537.75**		**874.65**

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

टिप्पणी :– 15

(रू.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
कराधान का प्रावधान				
कराधान सहित शुद्ध व्यय		**537.75**		**874.65**
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/हानि)		0.00		0.00
पिछले वर्ष से आगे लाया गया संतुलन		**874.65**		**0.00**
कुल ईडीसी		**1,412.42**		**874.65**
घटाएं :–				
सीडब्ल्यूआईपी /परिसंपत्ति को आवंटित ईडीसी	0.00		0.00	0.00
अनुमोदनाधीन परियोजनाओं का ईडीसी	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ–हानि खाते में डाला जाएगा				
शेष राशि सीडब्ल्यूआईपी में आगे ले जाई गई		**1,412.42**		**874.65**

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

लेखाओं पर टिप्पणियाँ–2024–2025

1. निष्पादित किये जाने वाली शेष संविदाओं (पूंजीगत प्रतिबद्धता) की अनुमानित राशि (अग्रिमों को घटाकर) :. शून्य है।
2. कंपनी को केवल ईएमडी/एसडी के तहत अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंक/वित्तीय संस्थानों के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ एफडीआर प्राप्त हो रहे हैं। कंपनी के पास ईएमडी और प्रतिभूति जमा के लिए एफडीआर राशि शून्य रुपये की है, इसके अलावा ठेकेदारों से जमा राशि **1.94 लाख रूपये (पिछले वर्ष – 1.75 लाख रूपये)** है, जैसा कि नोट संख्या 11 में दर्शाया गया है।
3. इंड एएस–24 के अंतर्गत प्रकटीकरण "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण":–

(क) संबंधित पक्षों की सूची :

(I) मूल :

कंपनी/संस्था का नाम	प्रचालन का मुख्य स्थान
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	भारत
आरआरईसीएल	भारत

(II) कार्यात्मक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :

क्र.सं.	नाम	धारित पद	अवधि
1.	श्री आर.के. विश्नोई	अध्यक्ष	25.03.2023 से
2.	श्री कुमार शरद	नामिती निदेशक	25.03.2023 से
3.	श्री नीरज वर्मा	नामिती निदेशक	23.01.2024 से
4.	श्री योगेन्द्र माथुर	नामिती निदेशक	11.11.2024 से
5.	श्री दुर्गेश रजोरिया	नामिती निदेशक	27.01.2025 से
6.	श्री दिनेश कुमार शर्मा	नामिती निदेशक	21.03.2024 से 19.04.2024 तक
7.	श्री देवकीनंदन शर्मा	नामिती निदेशक	21.03.2024 से 27.01.2025 तक
8.	श्री सुनित माथुर	नामिती निदेशक	27.06.2024 से 31.08.2024 तक
9.	श्री कैलाश चंद सोनी	नामिती निदेशक	03.09.2024 से 11.11.2024 तक
10.	श्री ए.के. गोयल	सीईओ–केएमपी	28.10.2024 से
11.	श्री वी.पी.माथुर	सीएफओ–केएमपी	28.10.2024 से
12.	श्री नवीन कुमार	सीएस–केएमपी	28.10.2024 से

(iii) कंपनी पर संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली अन्य संस्थाएं।

कंपनी 25.3.2023 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) की सहायक कंपनी है, जिसका नियंत्रण टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पास है, जिसके अधिकांश शेयर हैं। भारतीय लेखा मानक 24 के पैराग्राफ 25 और 26 के अनुसार, जिन संस्थाओं पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है या जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित घोषणाएं की हैं।

सरकार के साथ संबंध का नाम और प्रकृति

क्र.सं.	संबद्ध पक्षों के नाम	संबंध की प्रकृति
1.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	धारक कंपनी (74.00%)
2.	आरआरईसीएल	शेयरधारक (26.00%)

(iv) संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन निम्नानुसार हैं :

(रू.लाख में)

कंपनी / पक्ष का नाम	कंपनी के लेनदेन की प्रकृति	31.03.2025	31.03.2024
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	ट्रेडको लिमिटेड की ओर से किए गए व्यय के कारण देय राशि,	182.53	589.21
आरआरईसीएल	सौर पार्क पंजीकरण के लिए भुगतान की गई राशि	0.00	23.60
आरआरईसीएल	इक्विटी योगदान	260.00	130.00
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	इक्विटी योगदान	740.00	370.00
आर.के. सेमवाल	सीईओ–केएमपी	0.00	22.10
एच.के. त्यागी	सीईओ–केएमपी	0.00	46.27
ए.के. गोयल	सीईओ–केएमपी	80.06	0.00
वी.पी.माथुर	सीएफओ–केएमपी	32.95	0.00

(v) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक: स्वतंत्र निदेशकों की फीस और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य लाभ और व्यय चालू वर्ष के लिए 113.01 लाख रुपये और पिछले वर्ष 68.38 लाख रुपये हैं।

(रू.लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
1	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	102.09	67.26
2	सेवानिवृत्ति के बाद और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	10.92	1.12
3	सेवानिवृत्ति लाभ	–	–
4	शेयर–आधारित भुगतान	–	–
	कुल	**113.01**	**68.38**

(vi) संबंधित पक्षों के पास बकाया शेष राशि निम्नानुसार है :

(रू.लाख में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
देय राशि :		
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	771.74	589.21

(vii) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की शर्तें और नियम :

(क) संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन सामान्य वाणिज्यिक नियमों और शर्तों तथा बाजार दरों पर किया जाता है

4. प्रति शेयर आय (ईपीएस) – मूल और डाइल्यूटिड

प्रति शेयर आय (मूलभूत और तनुकृत) की गणना के लिए विचारित बातें निम्नानुसार हैं :

	2024–25	**2023–24**
कर पश्चात शुद्ध लाभ (लाख रुपये)	(129.03)	(102.46)
विभाजक के रूप में उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों का भारित औसत संख्या	13460274	4291530
प्रति शेयर आय	**रू. लाख में (₹)**	**रू. लाख में (₹)**
– बेसिक	(0.96)	(2.39)
– डाइल्यूटिड	(0.96)	(2.39)
प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹	रू.10	रू.10

5. कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी इंड एएस 12 "आयकर" के अनुपालन में, स्थगित कर परिसंपत्तियों में 40.85 लाख रुपये (पिछले वर्ष 31.51 लाख रुपये) की शुद्ध वृद्धि को लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया गया है।

विवरण	**मार्च, 2025 को (रुपये लाख में)**	**मार्च, 2024 तक (रुपये लाख में)**
आस्थगित कर परिसंपत्ति	72.36	31.51
कुल	**72.36**	**31.51**

(रू. लाख में)

आस्थगित कर की गणना		**31.03.2025**	**31.03.2024**
क) मूल्यह्रास खाते पर परिसंपत्ति			
आयकर अधिनियम के अनुसार अचल संपत्ति का डब्ल्यूडीवी			
पुस्तकों के अनुसार अचल संपत्ति का डब्ल्यूडीवी			
अंतर			
ख) प्रारंभिक व्यय के खाते में परिसंपत्ति			
प्रारंभिक व्यय भविष्य में कटौती योग्य के रूप में स्वीकार्य हैं		38.29	51.06
ग) भविष्य में स्वीकार्य अनवशोषित घाटा		240.02	70.14
अस्थायी अंतर		**278.31**	**121.20**
अस्थायी अंतर की शुद्ध राशि		**278.31**	**121.20**
कर की दर / 25% 4% अधिभार			
आस्थगित कर परिसंपत्ति		**72.36**	**31.51**

6. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत अपेक्षित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में सूचना तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम है।

31.03.2025 तक व्यापार देय अवधि निर्धारण अनुसूची (रू.लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई					
(ii) अन्य					
(iii) विवादित बकाया एमएसएमई					
(iv) विवादित बकाया – अन्य					

31.03.2024 तक व्यापार देय आयु अनुसूची (रु.लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(v) एमएसएमई					
(vi) अन्य	13.14				13.14
(vii) विवादित बकाया–एमएसएमई					
(viii) विवादित बकाया – अन्य					

7. भारतीय लेखा मानक 116 'पट्टे' के अनुसार प्रकटीकरण

(क) कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग पर निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किए हैं :

(i) समान आर्थिक परिवेश में समान अंतिम तिथि के साथ समान परिसंपत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर लागू की गई।

(ii) 12 महीने से कम अवधि वाले पट्टे और प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर छोटे मूल्य वाले पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता न देने की छूट लागू की गई।

(iii) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के मापन से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को, यदि कोई हो, बाहर रखा जाएगा।

(iv) यदि अनुबंध में पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं तो पट्टे की अवधि निर्धारित करते समय पश्चदृष्टि का उपयोग किया जाएगा।

(ख) कंपनी ने शून्य लाख रुपये की पट्टा देनदारियों और उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की समतुल्य राशि को मान्यता दी है।

(ग) भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पट्टा देयताओं पर लागू भारित औसत वृद्धिशील उधार दर शून्य है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

(i) इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों की वहन राशि और गतिविधियां निम्नलिखित हैं :

(रू.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभिक शेष	–	–
– पट्टा देयताओं में वृद्धि	–	–
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	–	–
– पट्टा देयताओं का भुगतान	–	–
अंतिम शेष	–	–
गैर–चालू	–	–
चालू	–	–

(ii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण :

(रू.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभिक शेष	–	–
– पट्टा देयताओं में वृद्धि	–	–
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	–	–
– पट्टा देयताओं का भुगतान	–	–
अंतिम शेष	–	–
गैर–चालू	–	–
चालू	–	–

(iii) ई.डी.सी. में मान्यता प्राप्त राशियॉं निम्नलिखित हैं :

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास व्यय	–	–
पट्टे की देनदारियों पर ब्याज व्यय	–	–

(iv) पट्टों के विरुद्ध नगदी प्रवाह की राशियाँ निम्नलिखित हैं :

(रू.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
पट्टों के विरुद्ध नकद बहिर्वाह	–	–

8. प्रबंधन की राय में, व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलावा अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य, तुलन पत्र में बताए गए मूल्य से कम नहीं होगा।

9. लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी सहित)

(रू.लाख में)

		2024–25	2023–24
I.	सांविधिक लेखापरीक्षा फीस (जीएसटी सहित)	1.77	1.77
II.	कराधान मामले के लिए (कर लेखा परीक्षा)	–	–
III.	कंपनी कानून मामले के लिए	–	–
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	–	–
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	–	–
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	–	–

* वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अध्यधीन

10. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलनपत्र के बीच नकदी और नकदी समकक्षों का पुनर्मिलान निम्नानुसार है :

(रू.लाख में)

विवरण	टिपण्णी सं.	31.03.2025	31.03.2024
नकद और नकदी समतुल्य	6	485.11	57.64
जोड़ें: ग्रहणाधिकार के तहत बैंक शेष		0.00	0.00
घटाएँ: ओवरड्राफ्ट शेष		0.00	0.00
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकद और नकदी समतुल्य		485.11	57.64

ख) मार्च 2017 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने इंड एएस 7 'नकदी प्रवाह का विवरण' में संशोधन अधिसूचित करते हुए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम 2017 जारी किए। ये संशोधन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकदी प्रवाह विवरण' में किए गए संशोधनों के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल 2017 से लागू हैं और इनमें अतिरिक्त प्रकटन किए गए हैं, जिससे वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तनों का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर–नकदी परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन शामिल हैं। इसमें प्रकटीकरण की अपेक्षा को पूरा करने के लिए वित्तपोषण गतिविधियों के फलस्वरूप होने वाली देनदारियों के लिए तुलनपत्र में प्रारंभिक और समापन शेष के बीच सामंजस्य बनाने का सुझाव दिया गया है।

11. इंड एएस 19 के प्रावधान के तहत प्रकटीकरण

चूंकि सभी कर्मचारी अपनी मूल कंपनी – टीएचडीसीएल से सेकंडमेंट आधार पर हैं, इसलिए कर्मचारी लाभ में भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधाएं, अनुपस्थिति मुआवजा और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं जो मूल कंपनी के साथ व्यवस्था के अनुसार हैं। कंपनी को अपनी मूल कंपनी के माध्यम से उपरोक्त योजनाओं में एक निश्चित योगदान देना है जो संबंधित ट्रस्टों के माध्यम से इन निधियों रखरखाव करते हैं। तदनुसार, इन कर्मचारी लाभों को परिभाषित योगदान स्कीम के रूप में माना जाता है।

(रू.लाख में)

वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (2024–25)	प्रारंभिक	चालू वर्ष	समापन	परिवर्तन	अभ्युक्तियां
जारी शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	500.00	1000.00	1500.00	1000.00	टीएचडीसीआईएल से 1110 रुपये और आरआरईसीएल से 390 रुपये
दीर्घकालिक उधार (बांड और अन्य सुरक्षित ऋण– पट्टा दायित्व)	–	–	–	–	–
ऋण पर ब्याज वित्तीय लागत का भुगतान कम पूंजीकृत – सीडब्ल्यूआईपी	–	–	–	–	–
भुगतान किया गया लाभांश और लाभांश वितरण कर	–	–	–	–	–
अनुदान	–	–	–	–	–
वित्तपोषण से शुद्ध नकदी प्रवाह	–	–	–	–	–

12. वर्ष के दौरान, कंपनी बोडाना सौर पार्क परियोजना के लिए सरकारी भूमि आवंटन प्राप्त करने की प्रक्रिया में थी। कुछ लागतों को प्रासंगिक लेखांकन नीतियों के अनुसार पूंजीकृत किया गया था क्योंकि शुरू में यह अपेक्षित था कि इससे भविष्य में आर्थिक लाभ होगा। हालाँकि, भूमि आवंटन न होने के कारण, इस भूमि पर विशेष रूप से वहन की गई लागत (जैसे कि 55.09 लाख रुपये की डीपीआर लागत), अब परिसंपत्ति की मान्यता के मानदंडों को पूरा नहीं करती है। परिणामस्वरूप, इन लागतों को चालू वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है। इस व्यय को लाभ–हानि खाते में "सामान्य प्रशासन और अन्य व्यय" शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है और यह पूंजीगत परिसंपत्तियों और विकास लागत की मान्यता और अमान्यता पर कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुरूप है।

13. पिछले वर्षों के दौरान कंपनी ने ग्राम बोडाना, तहसील–नाचना–i में 2000 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के पंजीकरण शुल्क हेतु 23.60 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था। उक्त राशि को परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण और उपयोग की प्रत्याशा के आधार पर सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत पूंजीकृत किया गया था। हालाँकि यह भूमि ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को आवंटित न होकर आरआरसीएल द्वारा राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को आवंटित की गई थी। ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड ने आरआरईसीएल से पत्र संख्या ट्रेडको/सोलर

/जेपीआर/ 2024–25/1079 दिनांक 04.02.2025 के माध्यम से ग्राम बोडाना, तहसील–नाचना–i में 1735.05 हेक्टेयर भूमि के एक अन्य टुकड़े के विरुद्ध उक्त अग्रिम राशि की वापसी या समायोजन का अनुरोध किया था। हालाँकि यह अभी तक निश्चित नहीं है कि राशि वापस की जाएगी या समायोजित की जाएगी। इसलिए, चालू वर्ष में सीडब्ल्यूआईपी में पहले शामिल राशि को परियोजना की वर्तमान स्थिति को दर्शाने के लिए कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुरूप बैलेंस शीट में "अन्य चालू परिसंपत्तियों" के तहत पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

14. भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार प्रकटीकरण – 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' – हालिया लेखांकन घोषणाएं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) समय–समय पर कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के अंतर्गत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। नीचे उन नए मानकों और प्रमुख संशोधनों का सार दिया गया है जो 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद की अवधि के लिए पहली बार प्रभावी होंगे :

(i) बिक्री और लीजबैक में पट्टा देयता – भारतीय लेखा मानक 116 में संशोधन :

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 9 सितंबर 2024 को, भारतीय लेखा मानक 116 में बिक्री और लीजबैक लेनदेन की आवश्यकताओं में संकीर्ण–दायरे वाले संशोधनों अधिसूचित किये थे, जिनमें यह उल्लेख है कि कोई संस्था लेनदेन की तिथि के बाद बिक्री और लीजबैक का लेखा कैसे करती है। संशोधनों में निर्दिष्ट किया गया है कि, बिक्री और लीजबैक के बाद पट्टा देयता को मापने में, विक्रेता–पट्टेदार 'पट्टा भुगतान' और 'संशोधित पट्टा भुगतान' का निर्धारण इस प्रकार करता है कि विक्रेता–पट्टेदार को अपने पास रखे गए उपयोग के अधिकार से संबंधित लाभ या हानि की किसी भी राशि की पहचान न हो। यह विशेष रूप से उन बिक्री और लीजबैक लेनदेन को प्रभावित कर सकता है जहाँ पट्टा भुगतान में परिवर्तनीय भुगतान शामिल होते हैं जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होते हैं।

(ii) बीमा अनुबंध – इंड एएस 117

एमसीए ने 12 अगस्त 2024 को नए लेखांकन मानक भारतीय लेखा मानक 117, 'बीमा अनुबंध' को अधिसूचित किया, जो भारतीय लेखा मानक 104, 'बीमा अनुबंध' का स्थान लेगा। नए मानक के अनुसार, किसी भी संस्था को 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए भारतीय लेखा मानक 117 लागू करना होगा।

कंपनी ने उपरोक्त संशोधनों का मूल्यांकन किया है और ये कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है।

15. अनुपात विश्लेषण :

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 अंकेक्षित	31.03.2024 अंकेक्षित	गणक	विभाजक
1	2	3	4	5	6
क	वर्तमान अनुपात	**0.64**	0.09	वर्तमान परिसंपत्तियाँ	वर्तमान देनदारियाँ
ख	ऋण इक्विटी अनुपात	–	–	कुल ऋण	निवल संपत्ति
ग	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	–	–	(कर पश्चात शुद्ध लाभ + ऋण पर ब्याज+मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय+ अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि)	ऋण पर ब्याज दीर्घकालिक ऋण का मूलधन चुकौती)
घ	इक्विटी अनुपात पर	**–8.60%**	–20.49%	कर पश्चात शुद्ध लाभ	औसत हितधारक इक्विटी
ड़	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	–	–	परिचालन से राजस्व	औसत इन्वेंट्री
च	देनदार टर्नओवर अनुपात	–	–	परिचालन से राजस्व (शुद्ध ऋण बिक्री)	औसत व्यापार प्राप्य
छ	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	–	–	शुद्ध ऋण खरीद	औसत व्यापार देय
ज	शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	–	–	परिचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी
झ	शुद्ध लाभ मार्जिन	–	0%	कर पश्चात शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री
ट	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	**–11.33%**	–26.79%	ब्याज और कर पूर्व आय	नियोजित पूंजी

16. जहां भी आवश्यक हो, पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत / पुनर्वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़े चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय हो सकें।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217
स्थान–ऋषिकेश

ह०
(ए.के. गोयल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पैनः एसीएनपीजी6086डी
स्थान–जयपुर

ह०
(वी.पी. माथुर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पैनः एआईएपीएम7034जे
स्थान–जयपुर

ह०
(नवीन कुमार)
कंपनी सचिव
सदस्यता नं. ए46279
स्थान–ऋषिकेश

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते आर के मालपानी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 002759 सी

दिनांक–16.05.2025
स्थान–जयपुर

ह०
(राकेश झलानी)
पार्टनर
सदस्यता नं. 074142
यूडीआईएन 25074142बीएनक्यूजेजीटी6775

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड ('कंपनी') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक का तुलन पत्र, लाभ और हानि का ब्यौरा (अन्य समग्र आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सार शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') में अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं तथा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों ('इंड एएस') सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2025, तक कंपनी की स्थिति (वित्तीय स्थिति), तथा उसकी हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), उसके नकदी प्रवाह तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के बारे में सही तथा निष्पक्ष जानकारी देते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे उल्लेख किया गया है। हम भारतीय सणदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के अनुरूप वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हैं, और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर समग्र रूप से वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में पूरा ध्यान दिया गया, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल पर अन्य जानकारी तैयार करने की जिम्मेदारी है। अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, और निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल जानकारी, जिसमें अनुलग्नक, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, और कंपनी से संबंधित अन्य सूचना शामिल है (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जो इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ तथ्यात्मक रूप से असंगत है, या अन्यथा तथ्यात्मक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कोई गलत जानकारी है, तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम मामले को शासन के प्रभारी लोगों को बताएं और यदि आवश्यक हो तो उचित कार्रवाई करें, इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एएस सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार्य

लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ या हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखावय उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोगय उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगानाय तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली तथ्यात्मक गलत बयानी से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी के परिसमापन या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार होता है।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से तथ्यात्मक गलतबयानी से मुक्त हैं, भले ही वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित तर्कसंगत आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा एक तथ्यात्मक गलतबयानी, जब वह मौजूद हो, का पता लगाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैंः

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ हासिल करना ताकि ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय स्पष्ट करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित

प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय–वस्तु, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, का मूल्यांकन करना तथा यह भी पता लगाना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

तथ्यात्मक वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह तीव्रता होती है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने मेंय और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक तथ्यात्मकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां भी लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की अपेक्षा के अनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक कथन 'अनुलग्नक क' में प्रदान करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और निर्दिष्ट मामलों के आधार पर "अनुलग्नक ख" में एक विवरण देते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   क) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   ख) हमारी राय में, कंपनी ने कानून में अपेक्षित समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

   ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

   घ) हमारी राय में, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

   ङ) चूंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी के निदेशकों से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर–463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी पर लागू नहीं होती है।

   च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक ग" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

   छ) चूंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर–463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16) कंपनी पर लागू नहीं होती है।.

   ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के

संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

i. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमा नहीं है, जिसके प्रभाव को भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक हो।

ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी पूर्वानुमानित हानि, यदि कोई हो, हुई हो।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

iv. (क) प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, को कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हो) अग्रिम या उधार या निवेश के रूप (भले ही उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधि की प्रकृति से), इस समझ के साथ प्रदान नहीं की गई है, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(ख) प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्था ("वित्त पोषण पक्ष") शामिल है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार नहीं देगी या निवेश नहीं करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करेगी।

(ग) परिस्थितियों में उचित और समुचित मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी मामला नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड़) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत किए गए अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) में प्रावधान किया गया है, में कोई भी तथ्यात्मक गलत विवरण है।

v. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने अपने लेखाजोखे के बहीखाता के रखरखाव के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन–देन के लिए पूरे साल काम करता रहा है। इसके अलावा, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

4) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

कृते आर.के. मालपानी एंड एसोसिएट्स
चार्टड अकाउण्टेंट्स
(एफआरएन सं. :002759सी)
ह०
(राकेश झलानी)
पार्टनर
सदस्यता नं. 074142
यूडीआईएन 25074142बीएनक्यूजेजीटी6775

दिनांकः 16.05.2025
स्थानः जयपुर

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक क"

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के शीर्षक **'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित :**

1. क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड का रखरखाव किया है, इसके अलावा कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

   ख) प्रबंधन ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिसमें परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार भी शामिल है, का चरणबद्ध तरीके से भौतिक सत्यापन किया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उचित है। प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान कार्यक्रम अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिसमें परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार भी शामिल है, का भौतिक सत्यापन किया गया है और बहीखातों और भौतिक अचल संपत्तियों के बीच कोई भी वस्तुगत विसंगति नहीं पाई गई है।

   ग) कंपनी के नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है।

   घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

   ड़) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथा संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है अथवा 31 मार्च, 2025 तक कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

2. (क) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी के पास समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई इन्वेंट्री नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।

   (ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर 5 करोड़ रू से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

3. कंपनी ने किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष के लिए कोई निवेश नहीं किया है, न ही कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है या ऋण या अग्रिम के रूप में कोई ऋण, प्रतिभूत या अप्रतिभूत, प्रदान किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(iii) क से च के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

4. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट व्यक्तियों को ऋण नहीं दिया है या निवेश नहीं किया है या गारंटी और प्रतिभूति प्रदान नहीं की है।

5. कंपनी ने कोई जमा राशि या जमा मानी जाने वाली राशि स्वीकार नहीं की है। इसलिए, आदेश के खंड 3(अ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

6. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के लिए लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है। इसलिए, इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

7. क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा लेखा–बही और अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी सामान्यतः भविष्य निधि,

कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय राशियों सहित अविवादित वैधानिक देय राशियाँ उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती रही है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त के संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि 31 मार्च, 2024 तक देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी विवाद के कारण आयकर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क का कोई बकाया नहीं है।

8. पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेन–देन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।.

9. (क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के आरंभ में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, कंपनी ने अल्पावधि आधार पर धन नहीं जुटाया है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ड) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उनके कारण किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है, कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

10.क) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी ने ऋण लिखतों और सावधि ऋणों सहित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे के सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उन पर टिप्पणी नहीं की जाती है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्रमोटरों को उनके मूल आवंटन के अनुपात में वित्तीय वर्ष के दौरान 500 लाख रुपये की इक्विटी शेयर पूंजी जारी करने के अलावा शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

11.(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।

(ग) वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तिथि तक) कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं

हुई, जबकि हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण किया गया है।

12.हमारी राय में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

13.हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ लागू लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन कर रही है और संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

14.हमारी राय में कंपनी एक गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है और इसका टर्नओवर और प्रदत्त शेयर पूंजी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के तहत निर्दिष्ट सीमा से कम है, इसलिए आंतरिक लेखा परीक्षा की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है और इसलिए आदेश का खंड 3(xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

15.हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या इसके निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है, और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

16. (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi)(क), (ख) और (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) हमारी राय में, कंपनी कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

17. कंपनी को हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान क्रमशः ₹133.97 लाख रुपये की नकद हानि हुई है।

18. वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

19. वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक वस्तुगत मौजूद है, जो यह दर्शाती हो कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर तुलनपत्र की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हमारा कहना है कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों का कंपनी द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा।

20. कंपनी का नेटवर्थ, टर्नओवर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत निर्दिष्ट सीमा से कम है, इसलिए खंड 3 (xx) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते आर.के. मालपानी एंड एसोसिएट्स
चार्टड अकाउण्टेंट्स
(एफआरएन सं.: 002759सी)

ह०
(राकेश झलानी)
पार्टनर
सदस्यता नं. 074142
यूडीआईएन 25074142बीएनक्यूजेजीटी6775

दिनांकः16.05.2025
स्थानः जयपुर

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ख

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट में 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत अनुच्छेद 2 में संदर्भित,

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :–

क्र.सं.	निर्देश	की गई कार्रवाई	इंड एएस वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	**क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेनदेन संसाधित करने से खातों की प्रामाणिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, तो उसका भी उल्लेख करें?**	संचालित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर, कोई भी लेखा लेनदेन आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित/संचालित नहीं किया गया है। तदनुसार, खातों की प्रामाणिकता पर कोई प्रभाव नहीं है।	
2.	**क्या कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या उधारी/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला सामने आया है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा–जोखा रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है।**	संचालित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋणों का कोई पुनर्गठन या उधारी/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था।	**शून्य**
3.	**क्या केंद्र/राज्य सरकारों या उनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ?**	ऐसी कोई निधि या सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई।	

कृते आर.के. मालपानी एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
(एफआरएन सं. :002759सी)
ह०
(राकेश झलानी)
पार्टनर
सदस्यता नं. 074142
यूडीआईएन 25074142बीएनक्यूजेजीटी6775

दिनांक– 16.05.2025
स्थान–जयपुर

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

(स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम दिनांक की रिपोर्ट में 'अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 4 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (प) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2025 तक ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के साथ संयोजन में किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधन पर, भारतीय सणदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों ही भारतीय सणदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया है और इसे बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण को सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के भौतिक त्रुटिपरक विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जो :

(1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं:

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन–देन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं: और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करे जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अवहेलना की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकती है, उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 तक, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय सणदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते आर.के. मालपानी एंड एसोसिएट्स

चार्टड अकाउण्टेंट्स
(एफआरएन सं. :002759सी)

ह०
(राकेश झलानी)
पार्टनर
सदस्यता नं. 074142
यूडीआईएन 25074142बीएनक्यूजेजीटी6775

दिनांक–16.05.2025
स्थान–जयपुर

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप–निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए **ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड** के वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप–निर्देशों का पालन किया है।

कृते आर.के. मालपानी एंड एसोसिएट्स

चार्टड अकाउण्टेंट्स
(एफआरएन सं. :002759सी)

ह०
(राकेश झलानी)
पार्टनर
सदस्यता नं. 074142
यूडीआईएन 25074142बीएनक्यूजेजीटी6775

दिनांक–16.05.2025
स्थान–जयपुर

No. DGAC Energy) / REP (01-85/Ack-TREDCO RAJ Ltd/ 2025-26/015-2660858

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

आजादी का अमृत महोत्सव

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

Dated: 29th .05.2025

सेवा में,

अध्यक्ष,

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड,

जयपुर, राजस्थान।

विषयः 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान के वार्षिक लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(इ) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाएं।

भवदीय

ह०

(गुलजारी लाल)
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (ऊर्जा)

संलग्नकः यथोपरि।

स्थानः जयपुर, राजस्थान
दिनांक : 29.05.2025

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139(7) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा उनके द्वारा 16 मई 2025 की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

ह०

(गुलजारी लाल)
अतिरिक्त उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (ऊर्जा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2025

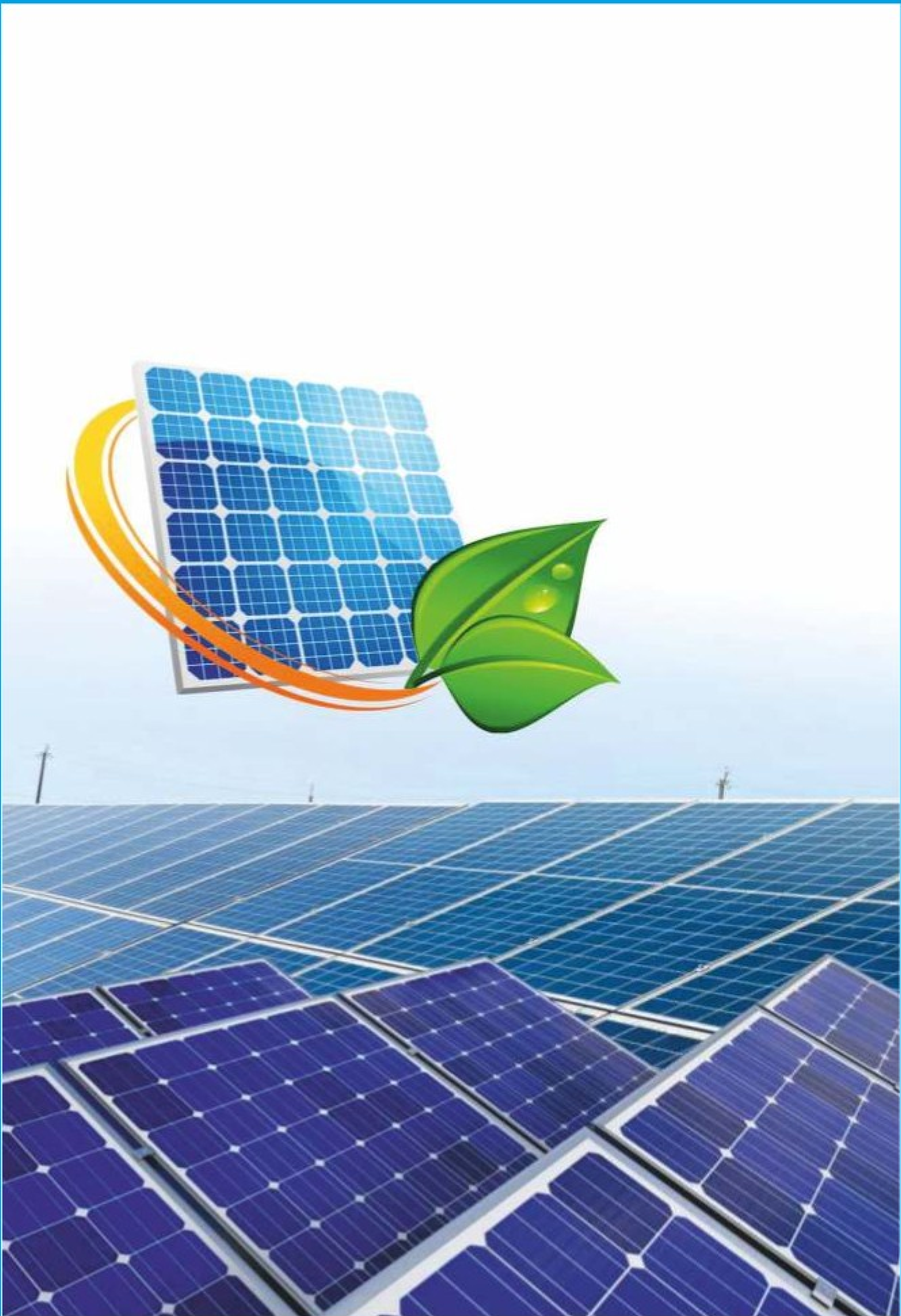

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

TREDCO RAJASTHAN LTD.

(टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का संयुक्त उद्यम)

(A Joint Venture of THDC India Ltd. & Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited)

CIN : U35106RJ2023GOI086546

पंजीकृत कार्यालय: *प्लाट नंबर डी–1, तीसरी और चौथी मंजिल, लाल कोठी योजना, पंकज सिंघवी मार्ग, जयपुर, राजस्थान–302005*

Registered Office : Plot No. D-1, 3rd & 4th Floor, Lal Kothi Scheme, Pankaj Singhvi Marg, Jaipur, Rajasthan-302005

@THDCIL 24x7 @THDCIL_MOP @THDCIL @THDCIL India Limited-Official @THDC India Limited-Official

speedways46@gmail.com